1522

खण्ड–9, अंक–1
गुरुवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(12 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय सूची

पुस्तकालय
1522
देहरादून

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
चारधाम यात्रियों की सुविधा के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत विषय उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–34
उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 के शाब्दिक, आनुषंगिक संशोधनों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	34–35
जनपद पिथौरागढ़ में बौबाटी, मेलकुड़ा, स्याल्वे, धुमरोली पेयजल योजना के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सौनी–तितालीखेत–चमड़खान मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35–36
जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ में हाईड्रम कांडई तथा लोहीगढ़ योजना को सिंचाई हेतु चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
लक्सर क्षेत्र के अन्तर्गत सौलानी नदी पर बने सेतु पर वसूले जा रहे टोल टैक्स को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36–37
जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड विण तथा मूनाकोट में भयंकर ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि से हुई फसल व अन्य हानि की क्षतिपूर्ति राशि निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37–38
जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
औचित्य का प्रश्न	38–39
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	39

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अनुसार उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	40
उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40—41
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41
उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	41
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	42
उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	42
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	42
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	43—56
प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	56—59

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल किये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	59–65
वित्तीय वर्ष 2003–2004 का आय–व्ययक का प्रस्तुतिकरण ...	65–66
अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित कर दिये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत) ...	66–67
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
नत्थियाँ	68–80

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अनिल नौटियाल
3. डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्री अरविन्द पाण्डे
5. श्रीमती आशा देवी
6. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
7. श्री काशी सिंह ऐरी
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री कैलाश शर्मा
10. डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश
11. श्री कौलदास
12. श्री गगन सिंह
13. श्री गोपाल सिंह राणा
14. श्री गोविन्द लाल
15. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16. श्री जोत सिंह
17. श्री तसलीम अहमद
18. श्री तिलक राज बेहड़
19. श्री तेजपाल सिंह रावत
20. श्री दिनेश अग्रवाल
21. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22. श्री नव प्रभात
23. श्री नारायण दत्त तिवारी
24. श्री नारायण राम आर्य
25. श्री नारायण सिंह जंतवाल
26. काजी निजामुद्दीन
27. श्री प्रकाश पंत
28. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29. डॉ० प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. श्री प्रीतम सिंह पंवार
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेमानन्द महाजन
34. श्री फूल सिंह बिष्ट
35. श्री बलबीर सिंह नेगी
36. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री भगत सिंह कोश्यारी
39. श्री मदन कौशिक
40. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
41. श्री महेन्द्र भट्ट
42. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
43. श्री मातबर सिंह कण्डारी
44. श्री मालचन्द
45. चौ० यशवीर सिंह
46. श्री रणजीत सिंह
47. श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
48. श्री राम प्रसाद टम्टा
49. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
51. श्री शूरवीर सिंह सजवाण
52. डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53. श्री शहजाद
54. श्री साधू राम
55. श्री सुबोध उनियाल
56. श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल
57. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. श्री सुरेश चन्द
59. डॉ० हरक सिंह रावत
60. श्री हरबंस कपूर
61. श्री हरभजन सिंह चीमा
62. श्री हरिदास
63. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. श्री हीरा सिंह बिष्ट
65. श्री हेमेश खर्कवाल
66. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 12 जून, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत के साथ आरम्भ हुई)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

चारधाम यात्रियों की सुविधा के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत विषय उठाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के खड़े होकर, एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, चार धाम यात्रा के बारे में हमारी सूचना को नियम 311 में ले लिया जाये (व्यवधान के मध्य) वहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपा करके आप लोग बैठ जायें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे नियम 56 में सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे देख लूँगा।

(श्री हरिदास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री हरिदास जी मैं आपकी सूचना को नियम 56 में ले रहा हूँ। कृपया बैठ जायें।

प्रश्नोत्तर

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त स्थगित तारांकित प्रश्न)

देहरादून में मारूवाला ग्रांट के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड को–ऑपरेटिव सोसाइटी क्लेमेन्टाउन की भूमि पर भू–माफियों द्वारा कब्जा

* श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम मारूवाला ग्रांट जो कि डोईवाला जनपद देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड यूरोपियन को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड क्लेमेन्टाउन (सरकार समिति) जनपद देहरादून की भूमि खसरा नं0 559, 562 तथा 565 कुल 30 बीघा को ब्रदर्स पैट्रिक सोसाइटी के सदस्यों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा खुर्द–बुर्द किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उपरोक्त भूमि एम0डी0डी0ए0 के कब्जे में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित कर सरकारी उपयोग में लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

यह सत्य है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डोमिसाइल्ड यूरोपियन को–ऑपरेटिव सोसाइटी लि0 क्लेमेन्टाउन जो इस समय परिसमापन के अन्तर्गत है खसरा नं0 559, 562 तथा 565 कुल 30 बीघा भूमि को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबन्धन में दिया गया है। इस भूमि को सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहण किया जाना सरकार के विचाराधीन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस भूमि पर लगातार विवाद चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी ने इसमें एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल के कमिश्नर हैं। उस कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि इस भूमि को शीघ्र अधिग्रहीत कर लिया जाए क्योंकि इस पर लिक्वीडेशन की कार्यवाही 1947 से चल रही है। इस भूमि को कई बार खुर्द–बुर्द करने की कोशिश की गई। सरकार के द्वारा जो जाँच कमेटी बिठाई गई उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में न तो दोषियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही की गई है और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण कब तक कर लिया जायेगा? उसकी कोई समय सीमा

मंत्री जी निर्धारित कर दें कि 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर एक माह में सरकार द्वारा भूमि को अधिग्रहीत कर लिया जायेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकरण को सदन में उठाया। मेरी सरकार इस पर मुस्तैदी से कार्यवाही कर रही है। मान्यवर, यह मामला जाँच के बाद काफी कॉम्पलीकेटेड हो गया। मान्यवर, इसकी पूरी जाँच करवाई गई और रिकार्ड देखने के बाद इसमें एक प्रकरण और प्रकाश में आया कि जो नॉन जेडे की भूमि थी, जेडे में परिवर्तित कर दी गई। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी चकराता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। भूमि के पूरे रिकार्ड हमारे पास है। मैं माननीय सदस्य जी को पूरे रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह बहुत ही संगीन मामला है। बहुत ही गम्भीरता से इसकी जाँच कराई जा रही है। इसके बाद ही सरकार द्वारा लिक्वेडेशन की कार्यवाही की जायेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जाँच के आदेश पूर्व में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये जा चुके हैं। जिसकी जाँच तत्कालीन सहकारिता सचिव श्री चन्द्र सिंह तथा तत्कालीन जिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश द्वारा इस प्रकरण की पूरी जाँच की गई। इस जाँच के रिकार्ड आदि आज भी जिलाधिकारी के पास हैं। उन्होंने भी भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की है। मंत्री महोदय द्वारा इसका गोलमोल जवाब पूर्व में भी दिया गया, जिसके कारण इस प्रश्न को स्थगित रखना पड़ा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, गोलमोल जवाब नहीं है। जो जमीन सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो, वह भूमि पूर्व वर्षों में नॉन जेडे से जेडे में परिवर्तित हो गई। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उप जिलाधिकारी चकराता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। उक्त जाँच वर्तमान में प्रगति में है। समिति में 1949 से 1976 तक डी0सी0ओ0 परिसमापक नियुक्त किया गया उसके बाद 1976 से 1979 तक ए0आर0सी0एस0, 1979 से 1980 तक ए0डी0सी0ओ0, 1980 से 1991 तक ए0आर0सी0एस0, 1991 से 1995 तक ए0आर0सी0एस0, 1995 से 1999 तक ए0डी0सी0ओ0 तथा 1999 से 2001 तक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि0 परिसमापक नियुक्त किये गये।

मान्यवर, इसमें उप जिलाधिकारी चकराता के माध्यम से एक कमेटी गठित की गयी है। एक माह के अन्दर इसकी पूरी जाँच करके, इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर सही आया था। परन्तु जो अनुपूरक प्रश्न किया गया उसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है खसरा नम्बर 559, 562 तथा 565 में कुल 30 बीघा भूमि है, जो देहरादून मसूरी प्राधिकरण के कब्जे में है। सरकार इस भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए कार्यवाही कर रही है। मान्यवर, मैं

सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं? दूसरा माननीय मंत्री जी के उत्तर में नोन जेडे की भूमि को जेडे में परिवर्तित करने की बात आयी है। मै जानना चाहता हूँ वह कौन सा क्षेत्र है, जहाँ ऐसी भूमि है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि सरकार इस भूमि पर कार्यवाही कर रही है, इस भूमि को सरकार के कब्जे में लेने के लिए त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है। जहां तक मान्यवर, आपका दूसरा प्रश्न है इसकी सरकार गम्भीरता से जांच कर रही है। यह भूमि भी इसी क्षेत्र में है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी प्वाइंटेड उत्तर दें। यह जमीन कौन से क्षेत्र में है, तथा इस पर कार्यवाही कब तक हो जायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह खुर्द–बुर्द जमीन का मामला है, यह इसी क्षेत्र का मामला है। जब से यह मामला सरकार के संज्ञान में आया सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पिछले मार्च में भी यह कहा था कि हम शीघ्र इस भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे और आज भी माननीय मंत्री जी यही बात कह रहे हैं कि शीघ्र इसका अधिग्रहण कर लेंगे। माननीय प्रकाश पंत जी ने पूछा कि इस भूमि को अधिग्रहण करने में क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस भूमि को अधिग्रहित करने में क्या दिक्कत है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस जमीन को अधिग्रहीत करने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने केवल 30 बीघा जमीन की बात उठाई है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 21 हेक्टेयर भूमि और है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 21 हेक्टेयर कौन सी भूमि है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह भूमि इसी के अन्तर्गत है। मान्यवर, जो वर्तमान में जो भूमि शेष बची है वह 7.3810 हेक्टेयर शेष बची है, स्थल पर आबादी है वह 12.5520 हेक्टेयर है, जो फौज को दी गई है वह 0.3040 हेक्टेयर है, बीच में नाला है जो कि 0.5420 हेक्टेयर है, रास्ते में 0.811 हेक्टेयर है। मान्यवर, कुल 21 हेक्टेयर जमीन शेष है, उस पर सरकार कार्यवाई कर रही है।

तारांकित प्रश्न

प्रत्येक विकासखण्ड में स्टेडियम तथा जिले में इन्डोर स्टेडियम की स्थापना

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या खेलकूद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार प्रत्येक विकासखण्ड में एक–एक स्टेडियम तथा जिले में इन्डोर स्टेडियम स्थापित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

खेल मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप खेल विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन्डोर हॉल व खेल मैदान विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में 6 जनपदों यथा–टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं देहरादून में इन्डोर हॉल व खेल मैदान निर्मित किये जा चुके हैं। जनपद रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ में इन्डोर हॉल व खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु योजना/धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार युवा कल्याण विभाग के माध्यम से विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम बनाये जाने हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्टेडियमों के लिये पूर्व में निर्धारित भूमि सीमा को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 3 एकड़ से घटाकर पर्वतीय क्षेत्रों में 1 एकड़ व मैदानी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6 जनपदों में इंडोर हॉल निर्मित हो चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनका कार्य पूर्ण हो चुका है या कार्य निर्माणाधीन है? मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि शेष जनपदों में कब तक इन्डोर स्टेडियम बनायेंगे? मान्यवर, आपने कहा कि 8 ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि 8 स्टेडियमों का कार्य किन–किन विकासखण्डों में हो रहा है और कितना निर्माण हो चुका है और कितना शेष है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 6 स्टेडियम पूर्ण हैं और 2 निर्माणाधीन हैं जो कि रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हैं। मान्यवर, दूसरा प्रश्न आपका यह था कि किन–

किन विकासखण्डों में निर्माण कार्य हो रहा है। श्रीमन्, 08 विकासखण्डों में हमारी सरकार युवा कल्याण के माध्यम से स्टेडियम का निर्माण कराने जा रही है और जो सूची की बात आपने कही, उसमें 5 ग्रामीण स्टेडियम केन्द्र सरकार की सहायता से और 3 राज्य सरकार बनाने जा रही है। जनपद पौड़ी के 5 विकासखण्डों यथा रांसी, कोट, जहरीखाल, नैनीडाण्डा एवं बूंगीधार में स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करायी गयी। ये स्टेडियम भारत सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे हैं, और शेष 3 स्टेडियम कालसी, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर एवं जनपद पौड़ी के विकासखण्ड दुगड्डा में प्रदेश सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और शेष विकासखण्डों में सरकार निश्चित रूप से नीति संसाधन के अनुसार निर्माण कराएगी।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 14 नवम्बर, 2002 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोचर में एवं औद्योगिक विकास मेले के दौरान गोचर स्टेडियम की घोषणा की थी, क्या उसकी कोई कार्यवाही प्रगति पर है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस पर कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनडोर स्टेडियम का क्या तात्पर्य है और हरिद्वार को इससे क्यों इगनोर किया जा रहा है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इनडोर स्टेडियम का अर्थ है जिसमें हम इनडोर स्टेडियम के माध्यम से जो खेल खेल सकें, जैसे :– बैडमिंटन। हरिद्वार को इससे बिल्कुल अलग रखा गया है या इगनोर किया गया है, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने 8 मिनी स्टेडियम बनाने की बात कही है और उसमें से 01 हरिद्वार को भी दिया गया है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मनेरा, उत्तरकाशी में मिनी स्टेडियम का कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा ? और अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है? और जो विकासखण्डों में बनाए जाने वाले स्टेडियम हैं, उनको ब्लाक स्तर से इधर भी बनाया जा सकता है या नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तरकाशी में यह मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन है, इसमें 85 लाख रु0 खर्च हो चुका है और शेष 10 लाख रु0 क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश के अंग थे, उस समय यह स्वीकृति हुयी थी और कहा गया कि पी0डब्ल्यू0डी0 उत्तरकाशी को यह पैसा दे दिया गया लेकिन पी0डब्ल्यू0डी0 का कहना है कि हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, हम इस विवाद को शीघ्र ही निपटाने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मामला उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच उलझा हुआ है। यदि उत्तर प्रदेश से धनराशि अवमुक्त नहीं होती है तो क्या यह अधूरा ही रहेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने पैसा अवमुक्त कर दिया, लेकिन पी0डब्ल्यू0डी0 का कहना है कि हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार इस विवाद को शीघ्र ही निपटाएगी और इसे शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घमातोली स्थान पर पूर्व सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था, यदि हाँ, तो उसका निर्माण क्यों नहीं किया गया?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस प्रकरण को मैं दिखवाकर, अवगत करा दूँगा।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग में इनडोर हॉल व खेल के मैदान के लिए कुल कितनी धनराशि दी गयी है और इसका कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग के लिए 2.25 करोड़ रु0 स्वीकृत किया गया है और जो माननीया सदस्या ने कार्य प्रारम्भ की बात कही है तो इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि वह जमीन उड्डयन विभाग के पास है जैसे ही वह जमीन हस्तान्तरित हो जायेगी कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

*2–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है?

क्या यह सत्य है कि उक्त पद पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध सहकारी बैंकों में अपने रिश्तेदारों को अनुचित तरीके से नियुक्ति एवं पदोन्नति देने के आरोप सिद्ध पाये गये हैं?

क्या सरकार उक्त व्यक्ति को कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक के पद से हटाने हेतु कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं, सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी संस्थाओं में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति का अधिकार शासन में निहित है और इसी के अन्तर्गत उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की गई थी।

जी नहीं।

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री पी०एस० हूडा की नियमित नियुक्ति शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2003 कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत–

मान्यवर, मेरे द्वारा जो सवाल पूछा गया है वह है कि कार्यवाहक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गयी है और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है "जी हाँ" सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत सभी सहकारी संस्थाओं में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति का अधिकार शासन में निहित है। मान्यवर, मैने कार्यवाहक प्रबंध निदेशक की बात पूछी है। माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्यवाहक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का अधिकार संचालक मण्डल को होता है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो प्रबंध निदेशक का मामला है यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा (31क) के प्राविधान के अनुसार किया गया है उसी के अन्तर्गत शासन को पूरा अधिकार है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

क्या आपके पास धारा (31क) है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस समय वह उपलब्ध नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैने कार्यवाहक प्रबंध निदेशक की बात पूछी है। वह अधिकार केवल संचालक मण्डल को होता है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, कार्यवाहक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है? जो धारा के अन्तर्गत प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गयी थी जिसमें शर्मा जी थे, उनको हटा दिया गया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, क्या यह सत्य है कि श्री रजनीश कुमार, श्रीमती सुनीता जो उनकी भतीजी है एवं श्रीमती उमा जोशी इनकी नियुक्तियाँ हुई थी और बाद में रद्द कर दी गयी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जिला सहकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति का सवाल है इसमें नियुक्तियाँ की गई हैं और जो समिति बनी थी उसमें शर्मा जी की पत्नी की नियुक्ति की गई थी वे उस कमेटी में नहीं थीं। मान्यवर, इसमें आरक्षण की बात नहीं थी। इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है।

ओलावृष्टि से फलों एवं सब्जियों को बचाने हेतु "हैलनेट" प्रणाली

*3–डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ओलावृष्टि से फलों व सब्जियों के उत्पादक काश्तकारों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए सरकार हैलनेट प्रणाली चालू करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जी हाँ।

योजना वर्ष 78–79 से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जी हाँ। योजना वर्ष 78–79 से संचालित है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यह प्रणाली लागू की गई है तो क्या सरकार ट्रेनर उपलब्ध करवाकर कृषकों को प्रशिक्षित करेगी? और क्या सरकार इसके लिए तागा भी कृषकों को उपलब्ध करवायेगी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, सरकार ओलावृष्टि के नुकसान से काश्तकारों को बचाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता पर हैलनेट उपलब्ध करवाने की योजना संचालित कर रही है। यह योजना वर्ष 78–79 से चालू है। अभी तक 525 हैलनेट कृषकों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से यह ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। अभी भी विभाग के पास लगभग 28 हैलनेट उपलब्ध हैं। अगर काश्तकारों की डिमांड आती है तो उन्हें उपलब्ध करवा दिया जायेगा। जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि तागा देकर हैलनेट बनाने की व्यवस्था विभाग करवायेगा। इस सम्बन्ध में अभी तक विचार नहीं किया गया है लेकिन अगर यहाँ कारीगर उपलब्ध होंगे तो इस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हैलनेट की कीमत बहुत ज्यादा है आपने बताया कि कृषक इसे नहीं खरीद रहे हैं। क्यों आप उद्यानपतियों के हित में हैलनेट के दाम घटायेंगे ताकि कृषक इसे खरीद सकें?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसकी कीमत वर्ष 1999–2000 में रू0 2500/– प्रति हैलनेट थी जिसमें 50 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। अर्थात् रू0 1250/– एक पेड़ की रक्षा का खर्च आता है। किसान इतना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा सरकार पहले से ही इसमें 50 प्रतिशत की सहायता दे रही है। जो बागवान इस योजना में 50 प्रतिशत अपने पास से खर्च करना चाहेंगे सरकार उन्हें 50 प्रतिशत की सहायता देकर हैलनेट उपलब्ध करायेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी उद्यानपतियों के हितों की रक्षा के लिए और जो हैलनेट आपके पास हैं, वे या तो सड़ रहे होंगे या उनको चूहे खा रहे होंगे। तो आप उन हैलनेटों को काश्तकारों को और सब्सिडी दे दीजिए क्योंकि इससे सरकार का भी फायदा होगा।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यदि संभव होगा तो इस पर भी विचार किया जायेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक हैलनेट से कितने रकबे को ओलावृष्टि से बचाया जा सकता है? मेरी जानकारी के अनुसार एक पेड़ की रक्षा हो सकती है। सरकार द्वारा अब तक उत्तरांचल में 525 हैलनेट बांटे हैं तो क्या हमारे राज्य में 525 ही पेड़ हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि बचाव नहीं कर सकते हैं तो क्या किसान के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सहायता करेगी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, एक हैलनेट एक पेड़ की रक्षा कर सकता है वह भी तब जब कि वह पेड़ बहुत बड़ा न हो। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 1250/– रुपये बैठ रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 525 हैलनेट बंट चुके हैं तो जितनी डिमांड होगी उतने हैलनेट विभाग बाँटेगा और उसमें 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी देगा इन्हें काश्तकारों को लेना चाहिए यदि वह नहीं ले रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से जो भी हो सकेगा वित्तीय मदद देने की सरकार प्रयास करेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसकी लाइफ क्या होती है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जहां तक मुझे ज्ञात है यदि इसे चूहे न काटे तो 20–25 साल की इसकी लाइफ है।

उत्तरांचल में 10 छात्रों से कम प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या

*4–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बन्द करने पर विचार कर रही है?

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में किस जनपद में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों की जनपदवार संख्या निम्नवत् है–

1–उत्तरकाशी	–	08
2–पौड़ी	–	61
3–चमोली	–	47
4–रुद्रप्रयाग	–	10
5–टिहरी	–	13
6–देहरादून	–	15
7–हरिद्वार	–	01
8–नैनीताल	–	15
9–पिथौरागढ़	–	25
10–ऊधमसिंह नगर	–	01
11–बागेश्वर	–	02
12–अल्मोड़ा	–	22
13–चम्पावत	–	05
	योग–	225

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर अध्यापक तैनात तो हैं परन्तु वहां पर रहते नहीं हैं? जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अंदर सुदूरवर्ती गंगी जैसे गांव हैं जो कि 10,000 फीट की ऊँचाई पर है वहां पर अध्यापक तैनात है पर रहते नहीं हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आपका मूल प्रश्न क्या है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि राज्य में 10 छात्र संख्या से कम वाले कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। हमारे पास ऐसे भी कई प्राथमिक विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या शून्य है। संभवतः वहां पर भी अध्यापक तैनात हो।

मान्यवर, ऐसे विद्यालय, जिनमें छात्र संख्या नहीं है और वहां पर अध्यापक नियुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे अध्यापकों को प्रदेश के अन्यत्र विद्यालयों में जहां पर अध्यापकों की कमी है, नियुक्त कर दिया जाएगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 225 ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है और माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि इन प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रकरण कितने वर्षों से विचाराधीन है और ये विद्यालय कब तक बन्द हो जाएगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, चूँकि यह प्रश्न आज पूछा गया है, इसलिए हम आज के आंकड़े दे रहे हैं, आपके समय में क्या हुआ, यह तो हम नहीं बता सकते।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रकरण कब से विचाराधीन है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि यदि ऐसे विद्यालयों के डेढ़ किलोमीटर दूर तक यदि कोई अन्य विद्यालय संचालित नहीं है तो ऐसे न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बन्द नहीं किया जाएगा। यदि डेढ़ किलोमीटर के अन्दर 3–4 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है, तो ऐसे विद्यालयों को विलीन कर दिया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं, लेकिन वहां पर अध्यापक नियुक्त हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे विद्यालयों में कितने शिक्षक नियुक्त हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, टिहरी गढ़वाल के एक प्राथमिक विद्यालय तथा सेवली और पांडोई प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य है किन्तु वहां पर अध्यापक नियुक्त हैं। इन विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक नियुक्त हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूँगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य है, वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता सरकार ने क्यों महसूस की?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह विद्यालय पूर्व में खुले हुए हैं और अध्यापकों की नियुक्ति भी पूर्व में की गयी है। हो सकता है इन विद्यालयों के छात्र बाद में अन्य विद्यालयों में चले गए हों, जिस कारण वहां पर छात्र संख्या कम हो गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है कि प्रदेश में 225 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर छात्र संख्या 10 से कम है। उत्तरांचल राज्य बनने का एक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है।

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। मान्यवर, पौड़ी में 61, चमोली में 47, पिथौरागढ़ में 25 और अल्मोड़ा में 22 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या कम है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और वह इन विद्यालयों को बन्द करने की बात कह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है कि उनमें छात्र संख्या कैसे बढ़े और जिससे कि वहाँ से छात्रों का पलायन न हो?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, शिक्षा के नाम पर पलायन इसलिए हो रहा है कि बहुत नजदीक–नजदीक विद्यालय खोल दिये गये हैं। मान्यवर, हर एक गाँव में एक ग्राम सभा होती है पाँच उप गाँव होते हैं वहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर जनप्रतिनिधियों ने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, कहीं दो विद्यालय, कहीं पर तीन विद्यालय हैं। इस तरह से एक डेढ़ किलोमीटर में 6–6 विद्यालय खोल दिये। इस तरह से पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। हम उनका न्यूनीकरण कर रहे हैं ताकि पढ़ाई का वातावरण बन सके।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, श्री प्रकाश पंत जी ने कहा कि पलायन शिक्षा की वजह से ही रहा है, मंत्री जी ने कहा कि नहीं हो रहा है। हमारा प्रश्न है कि गाँव के बच्चे गाँव में ही पढ़ें उसे पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। आप इस तरह की योजना बनायें कि शिक्षक अच्छा पढ़ायें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पलायन की बात मैं स्वीकार रहा हूँ, मेरी दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का पलायन नहीं हो रहा है। हमारे प्राइमरी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है और आपके जमाने में भी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा यह प्रयास है कि दो बच्चों में दो अध्यापक होंगे तो वहाँ पर पढ़ने का वातावरण नहीं बन पायेगा। विद्यालयों में बच्चों का और शिक्षकों का एक सही अनुपात होना चाहिए तभी पठन–पाठन का वातावरण विकसित हो पायेगा। इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं। जिन स्थानों पर मात्र 4–5 विद्यार्थी हैं और वहाँ पर स्कूलों की संख्या अधिक है तो 4–5 विद्यालयों का एकीकरण करके वहाँ पर एक विद्यालय स्थापित किया जायेगा। जिससे उस एक विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ जायेगी। पठन–पाठन का वातावरण भी अच्छा होगा। मान्यवर, जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि मानकों के अनुसार जहाँ भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, उनको पूरा किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शासन की ओर से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में जो वास्तविक स्थिति थी, उसका भलीभाँति संज्ञान लेकर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। माननीय नेता विरोधी दल ने इस सम्बन्ध में प्राथमिक और माध्यमिक या अन्य दूसरे स्तर पर जो शिक्षा नीति है उसके बारे में एक आम प्रश्न पूछा है। आज ही के समाचार पत्रों में तथा कल के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि किस तरह से विद्यावाहिनी के माध्यम से, इन्टरनेट के जरिए तथा टेलीविजन के जरिए छः राज्यों में शिक्षा का प्रसार–प्रचार किया जायेगा। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने एक शिक्षात्मक आयोजन में इस विद्यावाहिनी का उल्लेख किया है। हम भी केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में लिखने जा रहे हैं। इसमें हम विपक्ष का सहयोग भी चाहते हैं। विद्यावाहिनी कार्यक्रम को उत्तरांचल में भी लागू किया जाये। इस सम्बन्ध में हम भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है। जिसके अन्तर्गत सुदूर क्षेत्रों में इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रबन्ध किया जायेगा। केन्द्र द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचा है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। अगर इस प्रणाली को प्राइमरी विद्यालयों में आरम्भ किया जायेगा तो इसके प्रति लोगों में रूचि जागृत होगी। एक ही किलोमीटर के अंदर कई सारे विद्यालय खोले गये है जहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। उन्हीं

विद्यालयों के एकीकरण की बात विचाराधीन है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हम इन विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं। अगर ऐसी मंशा होती तो छात्रों की संख्या बढ़ाने की बात न होती। अगर विद्यावाहिनी जैसे कार्यक्रमों को प्रारम्भ करेंगे तो सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी।

उत्तरांचल में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं इण्टर कॉलेजों के अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति

*5--श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टर कॉलेजों के अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

जी हाँ।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु शासनादेश सं0 197/मा0रा0वि0/11(1)/2001, दिनांक 30 मई, 2003 द्वारा निर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्त संलग्न हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ सं0 68-72 पर]

श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो यह मार्गदर्शक सिद्धान्त दिया गया है इसमें तहसील जनपद के अन्तर्गत मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी को सुगम माना गया है, लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल 20 किलोमीटर पैदल मार्ग पर भी होते हैं। ये स्कूल सुगम न होकर दुर्गम क्षेत्र हो जाते हैं। क्या आपके मार्गदर्शक सिद्धान्त में इस चीज का वैल्यूशन निर्धारित किया गया है? विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं, इन पदों को भरने की क्या कोई नीति बनाई गई है? स्थानान्तरण की क्या कोई नीति बनाई गई है तथा सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों तथा शहर में रहने वाले अध्यापकों की क्या स्थानान्तरण नीति है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जहां तक सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम स्थानों की बात है तो यह हमने अपने मार्गदर्शक सिद्धान्त में स्पष्ट किया है। राजधानी, जनपद, तहसील एवं नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत सुगम स्थलों को छोड़कर मोटर मार्ग से 10 किमी0 तक दुर्गम तथा सुगम एवं दुर्गम दोनों को छोड़कर अतिदुर्गम माना गया है। जहां तक स्थानान्तरण की बात है, यह भी मार्गदर्शक सिद्धान्त में स्पष्ट है। जब तक किसी अध्यापक को एक स्थान पर तीन वर्ष नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इस समय इस सम्बन्ध में जितने भी आवेदन–पत्र हमारे पास आ रहे हैं, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है तथा स्थानान्तरण केवल उन्हीं अध्यापकों का किया जायेगा, जिनका स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र आयेगा। बिना प्रार्थना–पत्र का स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, स्थानान्तरण उन्हीं स्थानों पर किया जायेगा, जहां पर पद रिक्त होंगे।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थानान्तरण के लिए जो माननीय मंत्री जी ने समिति गठित की है, अगर आप उसमें देखेंगे तो समिति के आधार पर कहीं भी स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपने सब लोगों से आवेदन लिए हैं, पर ये आवेदन भी उन स्तर पर नहीं जाते हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ स्थानान्तरण किन माध्यमों से हो रहा है? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि मण्डलीय विद्यालय से 7 अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया गया और पूरे वर्ष में एक भी अध्यापक नहीं भेजा गया। क्या यह नीति में विरोधाभास नहीं है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी स्थानान्तरण के आवेदन समिति को भेजे जाते हैं, समिति हर आवेदन पर विचार करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण करती है। मान्यवर, जहाँ तक घाट विकास खण्ड में 6–7 स्थानान्तरण किये गये हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी देंगे तो मैं जाँच करूँगा और कोई दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही होगी।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय मंत्री जी, मैं जानकारी दे चुका हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नीतियों का निर्धारण किया जाता है पर उनका पालन नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने नीति बनाई थी कि एक माननीय विधायक से 5 लोगों का

स्थानान्तरण हो सकता है, पर उस नीति का पालन नहीं किया गया। मान्यवर, कोई स्थानान्तरण नीति पर नहीं हो रहा है। तो मैं आग्रह करूँगा कि नीतियों का पालन करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या अति दुर्गम और दुर्गम स्थानों पर अध्यापकों के पद भरे जायेंगे या नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो नई नियुक्तियाँ होंगी वह पहले दुर्गम स्थानों में रिक्त पदों पर होंगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अध्यापक नहीं रहते हैं, अन्य कोई विद्यालय नहीं है। मान्यवर, जो नीति बनती है उसके अनुसार कोई कार्य नहीं किया जाता है। मान्यवर, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम इस पर विचार करने के लिए नीति बना रहे हैं कि दूरस्थ क्षेत्र में अध्यापक रह सकें और उसमें प्रतिबंध लगा रहे हैं कि 3 साल से पहले वहाँ से अध्यापक हटाये नहीं जायेंगे। तो हमारा प्रयास है कि पहले दुर्गम स्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और इसमें हम पूरे सजग हैं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो नीति आपने बनायी है, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक कठिनाईयों को देखते हुए तो क्या जो अति दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाएँ ज्यादा होती हैं तो क्या उनके लिए आवास की भी कोई व्यवस्था इस नीति में सम्मिलित है, क्योंकि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काफी दिक्कत होती है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे साथी सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। पहले तो हमारी योजना विद्यालयों को कक्ष मुहैया कराने की है। मान्यवर, 412 विद्यालयों को 2–2 कक्षा कक्ष और प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो मरम्मत के काबिल थे, उनकी मरम्मत की गयी और जो पुर्ननिर्माण के लायक थे उनका पुर्ननिर्माण कराया गया तो हम पहले विद्यालयों की कक्षा की पूर्ति कर रहे हैं और भविष्य में सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि अध्यापकों को निवास की सुविधा उपलब्ध हो। पहले भवनों की व्यवस्था हो जाए, कक्षों की व्यवस्था हो जाए तो अध्यापकों के निवास की बात भी भविष्य में सोची जा सकती है।

राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों का प्रान्तीयकरण

*6–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रान्तीयकरण पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का 01, अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के 04 तथा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज का 01 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रान्तीयकरण हेतु निर्धारित मानकों को नियमानुसार पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि यह उत्तर तो केवल गुमराह करने वाली बात है, हम यह जानना चाहते हैं कि आप प्रान्तीयकरण करना चाहते हैं या नहीं और आपने कहा कि माध्यमिक विद्यालय का एक प्रस्ताव आया, इण्टर के 4 प्रस्ताव आए हैं, इनमें से कितने मानक पूरा करते हैं या एक भी नहीं करता है। यह उत्तर तो सन्तोषजनक नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए आप करना क्या चाहते हैं? यदि आप शासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण करना चाहते हैं तो कर दीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो कह दीजिए कि नहीं करना है। सरकार को स्पष्टवादी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माध्यमिक विद्यालय का एक प्रस्ताव आया है, इण्टर के 4 आए हैं इनमें से कितने मानक पूरे करते हैं और क्या सरकार इनका प्रान्तीयकरण करेगी या नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रान्तीयकरण के लिए विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम प्रदेश के सारे

विद्यालयों का प्रान्तीयकरण कर दें और जहाँ तक ये 4 विद्यालयों की बात है जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुक्तेश्वर, नैनीताल इनका प्रस्ताव है।

मान्यवर, इसमें कुछ कठिनाईयाँ है उन कठिनाईयों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रान्तीयकरण के लिए परीक्षाफल 50 प्रतिशत होना चाहिए। बहुत से विद्यालय अध्यापक से खाली है हम उनको अध्यापक न दे सके इसके लिए कुछ आप दोषी है और कुछ हम भी। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। एक तरफ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और वहीं दूसरी तरफ 50 प्रतिशत रिजल्ट की बात की जा रही है इसमें हम शिथिलीकरण कर रहे है और हम विद्यालय का प्रान्तीयकरण अवश्य करेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो 1 माध्यमिक विद्यालय है और 4 इण्टर कालेज हैं उनमें से कितने विद्यालय मानक पूरे करते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

इन सभी का मानक यह है कि इनका परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम है मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी उदार हैं मैं उनको बधाई देता हूँ कि वे जो सदस्यगण पूछते हैं उससे ज्यादा उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि बहुत से विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं तो वे कब तक अध्यापकों को दे देंगे? जिन विद्यालयों में अध्यापक की कमी है उनका रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम रहता है तो कब तक उन विद्यालयों को अध्यापक दे देंगे जिससे उनका परीक्षाफल सुधरे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, प्रश्न यह पूछा गया है कि उत्तरांचल राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रान्तीयकरण पर सरकार विचार कर रही है?

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, मैं यह मानता हूँ कि आपका उत्तर आया लेकिन मेरा यह कहना है कि जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और जहाँ पर उनका रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम है तो मान्यवर, प्रदेश के हित में, शिक्षा के क्षेत्र के हित में कब तक अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी कमी है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अशासकीय विद्यालयों में जो पुरानी 1992 की परम्परा है उस अधिकार को छीन लिया गया है बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। उसको हल करने के लिए एक ज्वाईंट डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है जो यह देखेगी कि कहाँ पर अध्यापकों के पद रिक्त हैं और उनको भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी शिक्षा में सुधार चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं 1992 से पहले जो प्रबन्ध समिति का अधिकार था अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, आपके विचार से गड़बड़ हो गया है। क्या शिक्षा मंत्री जी एक महीने के अन्दर यह अधिकार प्रबन्ध समिति को दे देंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रबन्ध समिति धारा–18(ख) के अन्तर्गत अधिकार होता है कि वह विद्यालय में अध्यापक नियुक्त करें लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बीच में एक योजना बनाई थी जिसे समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं मण्डल स्तर के, उनको अधिकृत किया जाए कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करें।

मान्यवर, तो इस पर सरकार विचार कर रही है। मैं चाहूँगा कि अगले सत्र से पहले इस पर विचार करके, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाये।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे सुअवसर देते रहते हैं कि मैं सदन का समय लूँ। मान्यवर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय नेता विरोधी दल आप अवगत होंगे कि आज संसार में, हमारे देश में भी एक विचारधारा चल पड़ी है कि निजी हाथों की शिक्षा ज्यादा अच्छी होती है बजाये शासकीय हाथों की शिक्षा के। इसलिए बहुत बड़े–बड़े ट्रस्ट और संस्थान काम कर रहे हैं जो अपने ढंग से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। टैक्निकल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि इनके द्वारा दी जा रही है। ये शासन से सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। ये स्वयं नहीं चाहते हैं कि उनका राजकीयकरण हो। जब तक वे स्वयं नहीं चाहेंगे हम इस सम्बन्ध में कानून बनाने की धृष्टता नहीं करेंगे कि अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाये। संविधान में माइनोरिटी इंस्टीट्यूशनस को छूट मिली हुई है। ऐसे अनेक संस्थान हैं जो प्रारम्भ से ही निजीकृत रूप से चल रहे हैं। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक चलना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कठिनाई में हों और उनकी कठिनाई को देखते हुए उनका पूर्ण प्रान्तीयकरण कर दिया जाये। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कि अशासकीय विद्यालयों का कहना था कि हम अपने ट्रस्ट के खर्चे से विद्यालय चला रहे हैं तो आप हमारा प्रान्तीयकरण क्यों करना चाहते हैं? मान्यवर, मैं आग्रह करूँगा कि इस सम्बन्ध में विचार के लिए कोई और समय निकाल लें और अन्य सदस्य जो अपने सुझाव देना चाहें हम और आप मिलकर इस पर अलग से विचार कर लें।

उत्तरांचल में हथकरघा विभाग का गठन एवं यूपिका हैण्डलूम में विलय की नीति पर विचार

*7–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या ग्रामोद्योग मंत्री भिज्ञ हैं कि उत्तरांचल राज्य में हथकरघा विभाग का गठन न किये जाने के फलस्वरूप बुनकर वर्ग को भारत सरकार द्वारा हथकरघा विभाग को दिये जाने वाली योजनाओं का कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है?

यदि हाँ, तो क्या शासन जनहित में हथकरघा विभाग का गठन कर पूर्ववत् यूपिका हैण्डलूम के बिक्री केन्द्रों का उसके साथ विलय करने पर कोई नीति निर्धारित किये जाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं। राज्य की आवश्यकताओं एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग व हथकरघा के लिये समेकित उद्योग व हथकरघा के लिये समेकित उद्योग निदेशालय की संरचना प्रख्यापित की गयी है। हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान प्रतिवर्ष निरन्तर विभाग को प्राप्त हो रहा है जिससे हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उद्योग व हथकरघा के लिये समेकित उद्योग निदेशालय की संरचना प्रख्यापित की गई है। इससे बुनकरों को क्या लाभ मिला? दूसरा आपने कहा कि हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान प्रतिवर्ष निरन्तर विभाग को प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी है लण्ढौरा क्षेत्र में बुनकर सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। उन्हें अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, राज्य गठन के बाद उद्योग विभाग और हथकरघा को मिलाकर उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई है और हथकरघा उद्योग के तहत ही दीनदयाल हथकरघा परियोजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है। जिसमें हथकरघा उद्योग की अवस्थापना, लूम की व्यवस्था करना, नये डिजाइन उपलब्ध कराना तथा प्रचार–प्रसार आदि शामिल हैं। मान्यवर, बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन करके ही उनको केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से सहायता देने का प्रावधान है। उसके अनुसार 50–50 प्रतिशत की सहायता उनको दी जायेगी। केन्द्र सरकार के विशेष पैकेज जो 7 जनवरी, 2003 को आया था उसमें 90 और 10 प्रतिशत के हिसाब से सहायता हमारे प्रदेश में शुरू हो गयी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि उनके क्षेत्र में बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है, यदि वहां पर बुनकरों की सहकारी समितियां गठित हो जायें तो उन्हें भी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता प्रदान की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 07 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

ऊधमसिंह नगर स्थित जलाशयों में मछली पालन से प्राप्त आमदनी एवं मत्स्य व्यवसायिकों को ठेका देने में प्राथमिकता पर विचार

1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर में स्थित जलाशयों से मछली पालन से गत 5 वर्ष के दौरान वर्षवार कितनी आमदनी विभाग को हुई?

वर्तमान में उक्त जलाशयों के ठेके कब तक के लिए हैं?

क्या सरकार द्वारा मत्स्य व्यवसाय करने वालों को ठेके में प्राथमिकता दी जाती है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित जलाशय उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के नियन्त्रणाधीन है। परिसम्पत्ति विभाजन अभी नहीं हुआ है। जलाशय सम्बन्धित वाद उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तरांचल में लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार वाद के निस्तारण तक जलाशयों की नीलामी से प्राप्त धनराशि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेगा। उत्तरांचल गठन के पश्चात् जलाशयों की नीलामी वर्ष 2001–2002 में हुई। तत्पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 2001–02 धनराशि रु0 1,09,51,420.00।

वर्ष 2002–03 धनराशि रु0 1,78,90,500.00।

वर्ष 2001–02 से जून 2004 तक (तीन वर्षीय नीलामी)।

जी नहीं, जलाशयों का ठेका खुली नीलामी से होता है, जिसमें मत्स्य व्यवसायी भाग लेते हैं एवं उच्च बोली के व्यवसायी के पक्ष में ठेका स्वीकृत/निस्तारित किया जाता है।

प्रदेश में शिक्षा के प्रचार–प्रसार की विशेष योजना एवं उसका स्वरूप

2–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु कोई विशेष कार्ययोजना लागू करने जा रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में जमालपुर समिति द्वारा हरिद्वार–दिल्ली राजमार्ग पर भूखण्ड के आवंटन का प्रस्ताव

3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार में जमालपुर समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या–7, दिनांक 17–5–95 को हरिद्वार–दिल्ली राजमार्ग पर स्थित 34x34 फुट भूमि जिसका बाजार मूल्य 20.00 लाख रुपया है, श्री अशोक कुमार व राजेश पुत्र श्री जयचन्द निवासी सहितापुर को देने का प्रस्ताव किया गया था?

क्या इस प्रस्ताव को उप निबन्धक, हरिद्वार द्वारा पत्रांक 3958–60, दिनांक 27–4–99 द्वारा निरस्त किया गया था?

क्या यह सत्य है कि समिति द्वारा पुनः 48x48 फुट की भूमि उपरोक्त व्यक्तियों को दिये जाने का प्रस्ताव संख्या–2, दिनांक 7–12–2001 को पारित किया गया जिसे जिला सहायक निबन्धक हरिद्वार द्वारा अनुमोदित कर कब्जा उक्त व्यक्तियों को दिलाया गया?

क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच तथा दोषी जिला सहायक निबन्धक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। समिति के द्वारा प्रस्ताव संख्या–7, दिनांक 17–1–95 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित किया गया था।

जी नहीं। उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, सहारनपुर मण्डल द्वारा अपने पत्र संख्या 3958–60, दिनांक 27–4–99 द्वारा समिति के प्रस्ताव संख्या–7, दिनांक 17–5–95 को निरस्त किया गया जो कि समिति के द्वारा पारित ही नहीं किया गया था। उप निबन्धक, हरिद्वार का कोई भी पद सृजित नहीं है।

जी नहीं। समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या–2, दिनांक 12–12–2001 द्वारा उक्त प्रस्ताव किया गया। जिसे जिला सहायक निबन्धक द्वारा समिति की कार्यवाही पुस्तिका में अवलोकित कर हस्ताक्षरित किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी क्रय–विक्रय समिति काशीपुर के लेखों में अनियमितता के आरोपित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 96–97 में सहकारी क्रय–विक्रय समिति, काशीपुर के विशिष्ट लेखा प्रतिवेदन में समिति के तत्कालीन सचिव ए0डी0सी0ओ0 व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध रु0 1993870.47 (उन्नीस लाख तिरानवें हजार आठ सौ सत्तर रु0 सैंतालीस पै0) के अपहरण दुरुपयोग, अनियमितता की पुष्टि की गयी है? यदि हाँ, तो

दोषियों के विरुद्ध वसूली/प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या कार्यवाही की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 96–97 में उप निबंधक सहकारी समितियाँ, नैनीताल द्वारा तत्कालीन सचिव ए0डी0सी0ओ0 के विरुद्ध धारा 65 की जाँच की गई थी तथा धारा 68 में उक्त के विरुद्ध लगभग 6.00 लाख वसूली के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में पशु चिकित्सा में लेवी की दर विषयक

5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान में पशु चिकित्सा लेवी किस दर से लिया जा रहा है?

गत एक वर्ष पूर्व लेवी की क्या दर थी?

क्या लेवी फीस के अन्तर्गत विभाग द्वारा दवा फ्री दी जाती है?

क्या सरकार जनहित में बढ़ी हुई फीस वापस लेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में पशु चिकित्सा सम्बन्धी लेवी निम्नलिखित दरों के अनुसार ली जा रही है:–

1–बड़े पशु–रु0 10.00

2–भेड़/बकरी/सुअर से रु0 5.00

3–कुत्ता/बिल्ली से रु0 40.80

विगत दिनांक 31–12–2001 से उक्त दरें प्रचलित हैं।

विभागीय संस्थाओं पर दवा उपलब्धतानुसार फ्री दी जाती है।

वर्तमान में लेवी कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

प्रथम शुक्रवार के अतारांकित 24 में स्था0।

उत्तरांचल सहकारी बैंक में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के प्रबन्धक की कार्यकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति

7–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के प्रबन्धक श्री राजेन्द्र शर्मा की नियुक्ति किस आधार पर की गई है?

क्या यह सही है कि इनके द्वारा उत्तरांचल के लिए वर्ष 1999 में दिया गया विकल्प सशर्त था तथा ये उत्तरांचल में कनिष्ठतम कर्मचारी हैं?

यदि हाँ, तो उनकी कार्यकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति का क्या औचित्य है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी संस्थाओं में प्रबन्ध निदेशक, के पद पर नियुक्ति का अधिकार शासन में निहित है। शासन द्वारा श्री राजेन्द्र शर्मा की नियुक्ति उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक में प्रभारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर की गयी थी। श्री शर्मा क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल एवं उ0प्र0 सहकारी बैंक के उत्तरांचल क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी थे। चूंकि श्री शर्मा देहरादून में तैनात थे इसलिए उन्हें प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 बनाया गया।

विकल्प पत्र वर्ष 2000 में दिया गया है, जो सशर्त नहीं है। श्री राजेन्द्र शर्मा, उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ के अधिकारी हैं। उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक के 2 क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तरांचल में कार्यरत हैं, दोनों समान वेतनमान में हैं। श्री एम0सी0 तिवारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, हल्द्वानी (नैनीताल) यद्यपि श्री शर्मा से वरिष्ठ हैं तथा श्री शर्मा की देहरादून में स्थानीय तैनाती तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय के कारण उन्हें प्रभारी प्रबन्धक निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पद का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल में पशु चिकित्सक को बी0डी0ओ0 का चार्ज देने के कारण

8–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशु चिकित्सालयों एवं उनमें पशु चिकित्सकों की संख्या क्या है?

क्या यह भी सत्य है कि एक पशु चिकित्सक को खण्ड विकास अधिकारी का चार्ज दिया गया है?

यदि हाँ, तो चिकित्सकों की कमी के बावजूद भी पशु चिकित्सकों को खण्ड विकास अधिकारी का चार्ज दिये जाने का क्या कारण है?

क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी में पशु चिकित्सालयों की संख्या 38 तथा उनमें कार्यरत पशु चिकित्सकों की संख्या 33 है।

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के कारण मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी द्वारा अस्थाई व्यवस्था पर पशु चिकित्सक को खण्ड विकास अधिकारी का चार्ज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में ग्रामीण महिलाओं को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने का विचार

9-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में ग्रामीण महिलाओं को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के लिये आसान किस्तों एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने पर सरकार विचार करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

उत्तरांचल में उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रयार्थ वर्ष 2001-02 में सघन मिनी डेरी परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया था। यह योजना वर्तमान में भी लागू है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 1315 लाभार्थियों को दो-दो दुधारू पशु क्रयार्थ बैंक ऋण तथा अनुदान सुविधा प्रदान की जानी है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "महिला डेरी विकास-कैटल इंडक्शन योजना" तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है। योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 1350 महिलाओं को दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण व अनुदान सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना पर कुल धनराशि रु0 562.62 लाख व्यय होना है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

रानीखेत में जनता द्वारा खेल मैदान की मांग

10-श्री अजय भट्ट-

क्या खेल मंत्री को ज्ञात है कि रानीखेत में जनता के लिए खेल मैदान हेतु लम्बे समय से मांग उठायी जा रही है, यदि हाँ, तो इस खेल मैदान के न बनने का क्या कारण है और कब तक रानीखेत में खेल मैदान का निर्माण होगा?

श्री प्रीतम सिंह-

यद्यपि खेल विभाग की वर्तमान नीति के अनुरूप जनपद मुख्यालयों में ही स्टेडियम निर्माण की योजना है। तथापि रानीखेत में स्टेडियम की मांग को देखते हुए भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु आख्या मांगी गयी थी। स्टेडियम के लिये प्रस्तावित भूमि छावनी परिषद् के क्षेत्र में है। छावनी परिषद् द्वारा इस भूमि को स्टेडियम के लिये हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव पास कर रक्षा सम्पदा कार्यालय, बरेली को उपलब्ध करा दिया गया

है। इस भूमि के विधिवत् खेल विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण के उपरान्त ही स्टेडियम का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में मत्स्य पालन केन्द्रों की संख्या एवं रोजगार देने हेतु मत्स्य पालन की नयी योजना

11–श्री अजय भट्ट–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने मत्स्य पालन केन्द्र हैं?

जिलेवार इनका विवरण क्या है तथा कुल कितने केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं?

इनसे वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है?

क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु मत्स्य पालन की कोई नयी योजना बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राज्य में मत्स्य पालन केन्द्रों की कुल संख्या 25 है (विभागीय–12, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लखनऊ–1, गो0ब0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि0वि0 पन्तनगर–1, केन्द्रीय रक्षा अनु0 केन्द्र पण्डा, पिथौरागढ़–1, राष्ट्रीय शीत जल मा0अनु0 केन्द्र चम्पावत–1 एवं निजी क्षेत्र में 9)।

जनपदवार विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/हैचरियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–देहरादून–1 (वेतवाली मंडी ढकरानी)।
2–उत्तरकाशी–2 (कल्याणी, गंगोरी)।
3–चमोली–2 (बैरागना, तलवाड़ी)।
4–अल्मोड़ा–1 (मनान)।
5–पिथौरागढ़–1 (नैनी–सैनी)।
6–नैनीताल–2 (भीमताल, मंवाली)
7–ऊधमसिंह नगर–3 (धौरा, बौर, तुमड़िया)।

वर्तमान में कुल 10 विभागीय केन्द्र कार्यरत हैं।

कुल 16.681 लाख मत्स्य बीज।

जी हाँ।

मत्स्य विभाग द्वारा बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन की दृष्टि से ग्रामीण अंचलों में केन्द्र पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत मत्स्य पालन तालाब निर्माण/सुधार हेतु संस्थागत वित्त एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त एंगलिंग इन व्यू ऑफ टूरिज्म इन रिवर्स एण्ड लैक्स ऑफ उत्तरांचल नामक योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत नदियों एवं झीलों के निकटस्थ गाँवों के महिला प्रधान समूह गठित कर मत्स्य पालन अपनाने को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

जनपद पौड़ी में 1971 से पूर्व सेवानिवृत्त अध्यापकों की विधवाओं को पेंशन

12—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में वर्ष 1971 से पूर्व सेवानिवृत्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन मिल रही है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधवाओं को पेंशन देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

प्राथमिक विद्यालय जो बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन हैं, उनमें शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्व से निर्धारित थी। शासनादेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 के द्वारा लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान था, किन्तु सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष पश्चात् अथवा 65 वर्ष की आयु के उपरान्त मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन बेसिक शिक्षा परिषद् में देय नहीं थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1981 के पश्चात् परिषदीय सेवानिवृत्त अध्यापक/अध्यापिकाओं की विधवाओं/विधुरों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

अल्मोड़ा में निबन्धक सहकारी समिति में उप निबन्धक की तैनाती

13—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा में निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल का कार्यालय स्थित है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यालय में अपर निबन्धक एवं उप निबन्धक की तैनाती की गई है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय में बैठते हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक ऐच्छिक विषय वाणिज्य का अध्यापन

14—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर वाणिज्य विषय का अध्यापन ऐच्छिक विषय के तहत करवाया जा रहा है?

यदि हाँ, तो उक्त विषय से सम्बन्धित अध्यापकों के पद कब तक सृजित किये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं।

विकासखण्ड ऊखीमठ के चलियाखोड़ भेड़ प्रजनन केन्द्र का आधुनिकीकरण

15—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत चलियाखोड़ भेड़ प्रजनन केन्द्र के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग के रा0इ0 कॉलेज धिमतोली के भवन निर्माण की योजना

16—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय इण्टर कॉलेज धिमतोली के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

विकासखण्ड स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारी एवं उनके अधीनस्त कर्मचारियों के वेतन में विसंगति

17–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विकासखण्ड स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वर्तमान में रु0 4500–7000 के वेतनमान में कार्यरत हैं जबकि उनके नियंत्रण में कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 6500–10500 कर दिया गया है?

क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रयास कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

पंचम् केन्द्रीय वेतनमान निरीक्षण शाखा के कार्मिकों पर लागू नहीं है। वर्तमान में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में याचिका संख्या 1778/2002 योजित की गयी है।

प्रश्नगत् प्रकरण सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

माध्यमिक शिक्षा में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का विनियमितीकरण

18–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 1993 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है?

क्या यह सत्य है कि वर्ष 1989–90 से पूर्व के तदर्थ रूप से नियुक्त प्रति उपविद्यालय निरीक्षक जो प्रधानाचार्य जूनियर हाई स्कूल संवर्ग से पदोन्नत/नियुक्त हुए हैं, को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को विनियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वर्ष 1989–90 से पूर्व के प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल से प्रति उप विद्यालय निरीक्षक पद पर नियुक्त 31 कार्मिकों का विनियमितीकरण हो चुका है।

शेष 21 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में पशु सेवा केन्द्र खोलने की योजना

19–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में पशु सेवा केन्द्र खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इसके स्थापना के मानक क्या होंगे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग के रा0इ0कॉ0 बुढ़ना लस्या में विज्ञान वर्ग को मान्यता न देने के कारण

20–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0इ0कॉ0 बुढ़ना लस्या, जनपद रुद्रप्रयाग में विज्ञान वर्ग की मान्यता इण्टर स्तर तक के लिए विद्यालय द्वारा प्रस्ताव उचित माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो अभी तक उक्त विद्यालय को विज्ञान वर्ग की मान्यता न दिये जाने के क्या कारण है?

क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय को यथाशीघ्र विज्ञान की मान्यता प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकासखण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली में कन्या जूनियर हाई स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव

21–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम अठाली में ग्रामीणों द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या इसी सत्र में उक्त विद्यालय खोला जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चमोली के श्री चण्डी देवी हाई स्कूल काण्डा मैखुरा के सापेक्ष पद सृजित न होने के कारण

22–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के श्री चण्डी देवी हाई स्कूल काण्डा मैखुरा को सवित्त मान्यता प्राप्त है?

यदि हाँ, तो इसके सापेक्ष पद सृजित न होने के क्या कारण हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

पदों का सृजन शासनादेश संख्या 69/माध्यमिक/2003, दिनांक 7–5–2003 द्वारा कर दिया गया है।

प्रदेश में बेसिक पाठशालाओं, हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

23–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेसिक पाठशालाओं, हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर क्या सरकार नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के ऊखीमठ में कोल्ड स्टोर खोलने की योजना

24–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत विकासखण्ड ऊखीमठ में अत्यधिक फलोत्पादन को मध्यनजर रखते हुए कोल्ड स्टोर खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर कोल्ड स्टोर खोला जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊखीमठ ठण्डा तथा पर्वतीय क्षेत्र है, साथ ही उत्पादित औद्यानिक सामग्री के मध्यनजर यहाँ पर शीतगृह निर्मित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में फल पट्टी एवं फलोत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की योजना

25–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में फल पट्टी एवं फलोत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में जिला योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में विशिष्ट फलों एवं फल पट्टियों का समन्वित विकास योजना क्रियान्वित है जिसमें केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित है। अन्य राज्य एवं केन्द्रीय योजनाएं भी क्षेत्र में संचालित हैं।

लक्सर के किसान इण्टर कॉलेज में कक्षा 11 एवं 12 में कॉमर्स विषय की मान्यता प्रदान न किये जाने के कारण

26–कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या शिक्षा मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्रांक अ–18145, दिनांक 12–7–2002 जो उनको सम्बोधित है, के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि किसान इण्टर कॉलेज लक्सर (हरिद्वार) में कक्षा 11 एवं 12 में कॉमर्स विषय की मान्यता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार जनहित में उक्त शिक्षण संस्थान में उल्लिखित विषय में मान्यता प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

किसान इण्टर कॉलेज लक्सर (हरिद्वार) की इण्टर स्तर पर कॉमर्स विषय की मान्यता हेतु आवश्यक प्रस्ताव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् से प्राप्त हो गया है, जो परीक्षणाधीन है।

सम्प्रति मानक पूर्ण होने की दशा में विचार किया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में जिला पुस्तकालय की व्यवस्था

27–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में जिला पुस्तकालय है?

यदि हाँ, तो उसकी व्यवस्था किस विभाग को दी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। प्रदेश के केवल आठ जनपदों में जिला पुस्तकालय स्थापित हैं।

उक्त जिला पुस्तकालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 के शाब्दिक, आनुषंगिक संशोधनों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 में उल्लिखित है कि जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाये तब सचिव खण्डों को पुनरांकित करेंगे, उनकी उपांतिक टिप्पणियों को पुनरीक्षित एवं पूर्ण करेंगे, उनमें केवल ऐसे औपचारिक, शाब्दिक अथवा आनुषंगिक संशोधन करेंगे जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों का शोधन करेंगे जो उनकी असावधानता के कारण रह गई प्रतीत हों। मान्यवर, यह जो संशोधन नत्थी–घ के रूप में

कार्यसूची के साथ आया है इसकी धारा 1 से लेकर धारा 159 तक सबमें संशोधन हुआ है। मान्यवर, यह कैसी परम्परा इस राज्य में पड रही है। इसमें आपकी तरफ से एक निर्णय आना चाहिए। यह विधेयक निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण था, यह बात हमने उस समय भी रखी थी जब यह विधेयक आया था। मान्यवर, आपकी ओर से एक ऐसा निर्णय आये कि सरकार भविष्य में ऐसे त्रुटिपूर्ण विधेयक सदन में न रखे। इसकी धारा 35, 63, और 98, यह पूरी धारायें ही बदल दी गई हैं तो यह शाब्दिक गलती तो है नहीं। आपकी ओर से ऐसा निर्णय आये कि आने वाले समय में ऐसा कोई विधेयक यहां पर न रखा जाये, मुद्रण के बाद उस पर विचार विमर्श हो और तत्पश्चात् ही वह यहां पर आये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, जैसा कि आप जानते है कि मुद्रण में त्रुटि हुई है और अब उसको ठीक कर दिया गया है। यह परम्परा नहीं बनेगी।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रकाश पंत, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री बलबीर सिंह नेगी तथा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रकाश पंत, श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा श्री बलबीर सिंह नेगी जी की सात सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी, मेलकुडा, स्याल्दे, घुमरोली पेयजल योजना के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी, मेलकुडा, स्याल्दे, घुमरोली पेयजल योजना वर्ष 1968 में बनाई गई थी, पाईप लाईन जगह–जगह टूट जाने से श्रोत में पानी कम होने से क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। जनता बराबर पुनर्गठन पेयजल की मांग करती आई है, जनता आन्दोलित है, स्थित गम्भीर एवं विस्फोटक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सौनी–तितालीखेत–चमड़खान मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सौनी–तितालीखेत–चमड़खान मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए कई बार क्षेत्रीय जनता द्वारा जनान्दोलन किये गये हैं,

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डामरीकरण न होने से वर्षान्त में यातायात रूक जाता है, जिसके लिए क्रमिक अनशन एवं आमरण अनशन तक भी करना पड़ा है। जिला प्रशासन को आश्वासन देकर इन जन–आन्दोलनों को समाप्त करना पड़ा है, परन्तु आज तक भी इस मार्ग की स्थिति पूर्ववत् है। वर्षान्त में ट्रक इत्यादि न जा पाने के कारण इस क्षेत्र में राशन एवं आवश्यक सामग्री का अभाव हो जाता है। यह अत्यधिक लोक महत्व का मामला होने के कारण इसे सदन के सम्मुख रखना पड़ा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सौनी–तितालीखेत–चमड़खान मार्ग को डामरीकरण करने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ में हाईड्रम कांडई तथा लोहीगढ योजना को सिंचाई हेतु चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग की पट्टी बछणस्यूँ में दो हाईड्रम योजनाएं कांडई तथा लोहीगढ़ का निर्माण लघु सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाई गयी। इन दोनों योजनाओं में आज के दिन तक एक भी दिन पानी नहीं चला है। यही हाल हाईड्रम योजना मल्यासू भरदार रुद्रप्रयाग के हैं। मैंने प्रश्न किया था कि मल्यासू हाईड्रम में पानी कब तक चालू किया जायेगा। उत्तर मिला कि पानी चल रहा है। जबकि मौके पर हाईड्रम योजना मल्यासू बन्द पडी है।

मैं चाहूँगा कि कांडई तथा लोहीगढ़ हाईड्रम योजनाओं में तत्काल पानी चालू करने की कोशिश लघु सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग करे। इन हाईड्रम योजनाओं को चालू कर कृषकों की भूमि को सिंचित कर दिया जाय। साथ ही सुझाव है कि हाईड्रम योजनाओं के बजट को गूलों के निर्माण पर खर्च कर दिया जाय। किन्तु प्रदेश में सभी हाईड्रम योजनाओं को तत्काल सिंचाई हेतु चालू किया जाय।

लक्सर क्षेत्र के अन्तर्गत सौलानी नदी पर बने सेतु पर वसूले जा रहे टोल टैक्स को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, लक्सर क्षेत्रान्तर्गत सौलानी नदी पर सन् 1974–75 में एक सेतु निर्मित किया गया था। तब से अब तक लगभग 29 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त सेतु पर टोल–टैक्स वसूल किया जा रहा है। यह अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि शासन द्वारा इस वसूली को सेतु निर्माण के 20 वर्ष पूर्ण हो जाने पर रोक दिया जाना था।

वैसे पूर्व में भी अन्य सेतुओं पर शुल्क वसूली जनविरोध के कारण, स्थगित कर दी गयी है जैसे सहारनपुर के निकट गागलहेडी स्थित हिन्डन नदी के सेतु पर गत दो वर्ष पूर्व चुगी वसूली पर रोक लगा दी गयी थी। ऐसा ही कुछ सन् 1958 में देहरादून के सोंग नदी के सेतु की शुल्क वसूली के सन्दर्भ में भी हुआ था।

लक्सर क्षेत्र खादर का दोआब क्षेत्र है, जो अति पिछड़ा क्षेत्र है एवं यहां के निवासी अधिकतर लघु किसान हैं, जो निर्धन वर्ग के हैं। उनसे सेतु पर शुल्क वसूला जाना उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्थिक शोषण है, जो अनुचित एवं निन्दनीय है। अतः उक्त शुल्क वसूली जनहित के विरुद्ध है। वैसे भी सोलानी सेतु की लागत वसूली जा चुकी है, इसलिए उक्त अनाधिकृत वसूली पर रोक लगनी चाहिए। इस तथ्य का सन्दर्भ ग्रहण किया जाना चाहिए।

इसलिए लो0नि0वि0 को आवश्यक निर्देश, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जारी करना श्रेयस्कर रहेगा। अतः लोकमहत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड विण तथा मूनाकोट में भयंकर ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि से हुई फसल व अन्य हानि की क्षतिपूर्ति राशि निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में विगत 2 माह से निरन्तर ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि के कारण खड़ी फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है। फलों की खेती को भी अत्यन्त नुकसान पहुँचा है। विकासखण्ड मूनाकोट तथा विण के कई आवासीय तथा सरकारी भवनों को क्षति पहुँचने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। परन्तु अभी तक न तो प्रभावित किसानों को उचित सहायता राशि ही निर्गत की जा सकी है और न ही क्षति का आंकलन ही किया गया है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, भारत सरकार के बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन ने 14–03–2001 को उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की है। 13–03–2001 तक उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ही उत्तरांचल में कार्य किया जा रहा था। उत्तरांचल में नवगठित संस्था ने राज्य के योग्य बेरोजगारों को संविदा एवं दैनिक वेतन पर कार्य करवाकर बीज प्रमाणीकरण कार्य करवाया गया। इन योग्य बेरोजगारों ने अपनी क्षमता व कार्य कुशलता के आधार पर संस्था को लगभग तीन करोड़ रुपये का राजस्व/परिसम्पत्तियां अर्जित कर दी। उत्तरांचल राज्य के इन्हीं योग्य एवं कार्यकुशल बेरोजगारों को संस्था द्वारा नियमित किये जाने के स्थान पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को लिया जा रहा है जो कि इन योग्य बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय है जबकि इनमें से अधिकांश बेरोजगार उम्र की अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं।

चूंकि उत्तरांचल में उक्त संस्था का गठन किया गया है, जो नये स्वरूप को लेकर अपने अस्तित्व में आयी है। उत्तर प्रदेश के कार्मिकों का इसमें लिया जाना व परिसम्पत्तियों का बंटवारा किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में संविदा व दैनिक वेतन पर रखे गये कार्मिकों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोककर वर्तमान में कार्य से निकाले गये दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पुनः कार्य पर लेने व विनियमित किये जाने का कार्य किया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री बलबीर सिंह नेगी–**

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षेत्र की लगभग 52 नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण क्षेत्र के किसान सिंचाई से इस वर्ष वंचित हो गये हैं। जिसमें न्याय पंचायत थाती, न्याय पंचायत बासर, न्याय पंचायत चमियाला केमर, न्याय पंचायत गोनगढ़, न्याय पंचायत आरगढ़, न्याय पंचायत गिलंग आदि दर्जनों गाँव पड़ते हैं। उक्त नहरों के मरम्मत कार्य न होने से इस क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन और खेतों की धान की नर्सरी सूखे की चपेट में है। जिससे आने वाली धान की फसल प्रभावित होने वाली है।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को दृष्टिगत करते हुए आपके माध्यम से आवश्यक कार्यवाही एवं चर्चा की माँग करता हूँ।

औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने प्रथम सत्र के दौरान 31 मार्च, 2003 को दी गयी नियम–301 के अन्तर्गत सूचना एवं 05 अप्रैल, 2003 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में दी है।

नियम–301 की सूचना का विवरण सत्र प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर शासन द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है। उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ तक नियम–51 के अन्तर्गत सूचना का उत्तर न मिलने का प्रश्न है, 05 अप्रैल, 2003 को सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण उस दिन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। वक्तव्य के लिए कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की गयी थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह पूरे सदन का मामला है, सदन में कोई भी बात उठती है तो उसका उत्तर आ जाना चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश में स्पष्ट लिखा है कि नियम 301 के निदेश संख्या–14(1) में इसका उल्लेख है कि इस अध्याय के अधीन सदन के संज्ञान में लायी गई सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर सम्बन्धित सदस्य को भेजा जायेगा। इसी के 14(2) में दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि मंत्री द्वारा सम्बन्धित सदस्य को दिये गये ऐसे प्रत्येक उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। इसी के तीसरे में कहा गया है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो। मान्यवर, यह प्रक्रिया सम्बन्धी किताब है, पीउ में भी रखी होगी। मान्यवर, हम जो भी प्वाइन्ट यहाँ पर उठाते हैं, उसका सम्बन्धित मंत्री द्वारा उसका उत्तर यहाँ पर दिया जाना चाहिए। हम सदन में बात इसलिए उठाते हैं कि उसका समाधान निकले। अगर मंत्रीगण उत्तर देने में इतना विरत रहते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, आज खुला निर्देश इस सदन में आना चाहिए, ऐसे आदेश होने चाहिए, नियमों का पालन हो सके। हम इसलिए इस सदन में आते हैं क्योंकि सदन की एक गरिमा है। इसमें मेरा अनुरोध है कि निश्चित समय के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्रीगण सम्बन्धित सदस्य को और विधान सभा को अवगत करायें इसलिए मैं इसमें स्पष्ट विनिश्चय की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली के निदेश संख्या–14 का अक्षरशः पालन होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, ठीक है। हो सकता है, कहीं चूक हो गई हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, नियम 301 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं, उन्हीं के उत्तर सदन के पटल पर रखे जाते हैं। आज नियम 301 के अन्तर्गत 10 में से 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं। जिन पर सरकार की तरफ से उत्तर दिये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रकरण समाप्त हो चुका है।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003

संसदीय कार्यमंत्री [डॉ (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 मई, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अनुसार उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में किए गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अनुसार उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में किए गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ।

[देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 73–80 पर]

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 मई, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन)

विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का बारहवां अधिनियम बन गया।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 12 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 12 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

जून, 2003

12 गुरुवार
(1) औपचारिक कार्य।
(2) विगत सत्र के लम्बित नियम–103 के प्रस्ताव।

सायं 4.00 बजे

(3) वित्तीय वर्ष 2003–2004 का आय–व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, डॉ0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रकाश पंत तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री प्रकाश पंत तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। इसके अलावा श्री मोहम्मद शहजाद, काजी निजामुद्दीन, श्री तसलीम अहमद तथा चौधरी यशवीर सिंह की नियम 311 की सूचना को मैं नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने भी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी थी, अगर यह सूचना आज नहीं लेनी है तो कल के लिए इसको लिया जाय। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यह चार धाम से जुड़ी सूचना है। हमें आपका संरक्षण चाहिए। यदि आप कहते हैं, प्रशासन ठीक है, तो ठीक है, यदि ठीक नहीं है तो फिर इसमें व्यवस्था आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री भट्ट जी, आपको मैं कक्ष में सुन लूंगा।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आज गन्ना किसान बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है। मान्यवर, गन्ना किसानों को सरकार ने कई बार आश्वासन दिया कि गन्ने का उचित मूल्य 95 रुपया मिलेगा, पर 74 रुपया दिया जा रहा है और उसके बाद भी पेमेन्ट नहीं होता है। मान्यवर, गन्ने से किसान ही नहीं देहात का मजदूर भी जुड़ा हुआ है। गन्ना 8 महीने की फसल चलती है। मजदूर सारा व्यय करके पशुपालन करता है और मजदूरी मिलती है। मान्यवर, किसान गन्ने की फसल से एक वर्ष का खर्च निकाल पाता है। मान्यवर, ऐसी कोई फसल किसान के पास नहीं है जो नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी मिल ने पर्ची पर 95 रुपये का रेट अंकित किया है पर वह 74 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। मान्यवर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, विधान सभा के बाहर भी गन्ने की होली जलाई गई। स्थिति बहुत विस्फोटक है, इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूँ। मान्यवर, सभी कार्य स्थगित्त कर इस पर चर्चा कराई जाए।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम सभी लोग आपके स्वास्थ्य की दुआ करते हैं। अभी माननीय शहजाद जी ने किसानों की समस्या रखी। मान्यवर, गन्ना ऐसी फसल है जो किसान के खेत में पूरे साल खड़ी रहती है, इससे किसान को ही फायदा या नुकसान नहीं होता है, इससे पूरी सोसाइटी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फायदा या नुकसान होता है। मान्यवर, पशुपालन विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर गन्ना होगा तो पशुपालन करना सम्भव होगा, अगर गन्ना नहीं होगा तो हम पशुपालन नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, अक्टूबर से 15 मई तक किसानों को चारा मिलता है, उस पर रोग लग रहा है पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, आपके विभाग से श्री विनोद शर्मा जी ने इस मामले को देखा, उस पर पंत नगर को दिखाया, पर उस पर कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी ने 'इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सल्युशन' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें था कि सोवियत संघ का दौरा करने गये और कहा कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा है, पर सोवियत संघ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि वहाँ किसी को किसानों की खेती की परवाह नहीं है।

मान्यवर, आज किसान बुरी तरह परेशान हैं, मजदूर बुरी तरह परेशान हैं। यदि गन्ने के भुगतान में जरा सी भी लापरवाही हमने बरती तो गन्ना किसान, मजदूर सड़कों पर उतरेगा, लॉ एण्ड ऑर्डर एफेक्टेड होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और न जाने छोटे-मोटे कितने नुकसान हमें होंगे। जैसे कि इससे एल्कोहल बनता है और उसमें एक्साइज पर नुकसान होगा। दूसरा सवाल यह है कि पेमेन्ट कितना होना चाहिए यह तक किसान को नहीं पता है। पर्ची पर 94/- रु० होता है और भुगतान 74/- रु० का हो रहा है। किसानों को तो यह भी नहीं मालूम कि भुगतान कितना होना है। मान्यवर, यहाँ सभी पढ़े-लिखे और ज्ञानी लोग मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि केन एक्ट के अनुसार "14 दिन में जो केन्द्र सरकार एस०एम०पी० घोषित करती है, यदि इसका पेमेन्ट शुगर मिल किसानों को नहीं करता तो 15 प्रतिशत इन्टरेस्ट देना पड़ेगा"। किसान के पास डीजल तक के लिए पैसा नहीं होता है, पिछली फसल का पैसा नहीं मिला, अगली फसल के लिए बीज, दवा या खाद के लिए गन्ना सोसाइटी से पैसा उधार लेता है तो उसे उस पर 12 प्रतिशत इन्टरेस्ट देना पड़ेगा। मान्यवर, यदि हम किसान को इन्टरेस्ट नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कम से कम उसको तो सूद न देना पड़े। लगातार किसान आन्दोलित हो रहे हैं-हरिद्वार में, डोईवाला में। मान्यवर, यदि यही स्थिति रही तो किसान सड़कों पर उतरेगा और इसके लिए यकीनन सरकार जिम्मेदार होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार कोई प्रभावी कदम उठाए, पहले जो भाव था 95-100 का और जो भुगतान नहीं हुआ उसको करवाए। मान्यवर, इस अत्यन्त अविलम्बनीय, लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराएँ।

*श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी 311 की सूचना को 56 में कार्य स्थगन में स्वीकार कर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन को ढाई वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आज ढाई वर्ष के बाद प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है, वह बड़ी ही विचारणीय है, दयनीय है। आज ढाई वर्ष के बाद उत्तरांचल राज्य का किसान यह सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर यह कौन सी सरकार बनी है जो अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाई है। मान्यवर, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और आज किसान की ऐसी स्थिति हो गयी है कि उसको रोटी के लाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़े हुए हैं क्योंकि मान्यवर, गन्ने को नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। किसान की आर्थिक स्थिति गन्ने पर ही निर्भर रहती है। अगर किसान की तबियत खराब हो जाती है तो उसके पास बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं होता है क्योंकि वह गन्ने पर ही निर्भर रहता है और सोचता है कि जब गन्ने का मूल्य मिल जायेगा तो पैसे दे दिया जायेगा। लेकिन आज किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के चार जिले ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ना काफी होता है, लगभग 50–60 प्रतिशत तक। यानि 1.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना पैदा होता है। मान्यवर, नियम के अनुसार अगर उसको 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे 15 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान किया जायेगा लेकिन ब्याज की बात तो दूर उसको अपने ही पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस विषय पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। दूसरी ओर किसान की स्थिति इतनी दुःखद है कि उसके ऊपर जो बैंक से लिया हुआ ऋण है, उसकी आर0सी0 काटी जा रही है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कौशिक जी, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसान के ऊपर जो 20–25 हजार रु0 का ऋण है, उसके लिए आर0सी0 काटी जा रही है और उसको जेल में ठूँसा जा रहा है। उसका अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, निश्चित रूप से किसान कहीं न कहीं आक्रोशित है, उसके मन में आन्दोलन की भावना होती है, जब वह आन्दोलन करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारे यहाँ केवल 30 प्रतिशत गन्ना ही मिल द्वारा लिया जाता है, अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र आदि में 50 प्रतिशत से अधिक गन्ना मिलों द्वारा लिया जाता है। हमारे यहाँ 30 प्रतिशत गन्ना की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, किसान अपना गन्ना मिलों पर न ले जाकर 30–40 रु0 प्रति कुन्तल के हिसाब से कोल्हू में देने को मजबूर हो रहा है। मान्यवर, इसलिए मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर बल देते हुए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

गन्ना मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हमारे छोटे उम्र के विधायक काजी निजामुद्दीन जी और अन्य सदस्यों ने जैसे कहा है कि गन्ने के भुगतान के सम्बन्ध में, तो मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में चिंतित है।

मान्यवर, सरकार गन्ने के मूल्य के बारे में चिंतित है। मैं बताना चाहता हूँ कि 95 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ने का भुगतान किया जा रहा है।

(तालियाँ)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी तक बकाये का भी भुगतान नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री साधूराम–

मान्यवर, गन्ने के पिछले वर्ष के पेमेन्ट के बारे में जिसमें आप लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये पेमेन्ट हम न कर पायें। मान्यवर, सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि किसानों के एक–एक पैसे का भुगतान किया जाये।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, लेकिन भुगतान कब करेंगे?

श्री साधूराम–

मान्यवर, जितनी चीनी मिलों में बनेगी, इसका भाव केन्द्र सरकार तय करती है। आप भी इससे अवगत होंगे कि इस समय एक बोरा चीनी बनाने में लगभग 1400 से 1515 रुपये तक का खर्च आता है और बाजार मूल्य 1000 से 1125 रुपये तक है। इस प्रकार एक बोरे में 300–400 रुपये का घाटा हो रहा है। आज चीनी उद्योग की स्थिति बहुत दयनीय है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार 2–2 हेलीकाप्टर खरीद रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी है।

श्री साधूराम–

मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, केन्द्रीय कृषि मंत्री को लिख रहे हैं कि आप हमें 84 करोड़ रुपये की मदद दें और हमें उम्मीद है कि यह मदद हमें मिलेगी। तभी गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा सकेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है। (भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के लोहाथल गांव में विगत कई

महीनों से पशुओं में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है, रोजाना कई पशु मर रहे हैं। मान्यवर, श्री आन सिंह कार्की जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं उन्होंने बैंक से ऋण लेकर बकरीपालन का उद्योग शुरू किया हुआ था, उनकी 2 दर्जन बकरियां इस अज्ञात बीमारी के कारण मर गई हैं। मान्यवर, उस क्षेत्र में यह बीमारी फैली हुई है और उसके कारण सैकड़ों पशु अभी तक मर गये हैं। इस सम्बन्ध में जनपद मुख्यालय से एक टीम भी वहां गई थी लेकिन अभी तक वे यह नहीं पता कर पाये हैं कि यह कौन सी बीमारी है और जो काश्तकारों के जानवर मरे हैं, उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। मान्यवर, यह प्रकरण अविलम्बनीय लोकमहत्व का है और रोजगार से जुड़ा है अतः मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

*सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, सम्मानित विधायक चुफाल जी ने अभी बताया है कि वहां पर डाक्टर्स की एक टीम भी गई थी, इस सन्दर्भ में आज ही निर्देश भी दिये जा चुके हैं और एक टीम वहां पर भी गई है कि जो जानवर मर गये हैं, उनका बिसरा इकट्ठा किया जा सके और उस पर अनुसंधान किया जा सके कि यह कौन सी बीमारी है और उस पर कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये हैं और जो आवश्यक दवाइयां थी, उनका भी वितरण करवा दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र से भी कई फोन आ रहे हैं कि इस अज्ञात बीमारी की वजह से हमारे जानवर मर रहे हैं और डी0एम0 को कहने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आप तो यहां से निर्देश दे देते हैं परन्तु जब उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो उन निर्देशों का फायदा क्या है? आप जिलाधिकारी को निर्देश दें, पशुधन अधिकारी को निर्देश दें और उनसे कहें कि इस बीमारी की रोकथाम के तुरन्त प्रयास करें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जैसा कि मैं अवगत करा चुका हूँ कि सिर्फ निर्देश ही नहीं दिये गये हैं बल्कि एक टीम भी यहां से वहां पर गई है और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। यदि इस प्रकरण में कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बिशन सिंह चुफाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, नये राज्य का गठन होने के समय या उससे पहले कुमायूँ विश्वविद्यालय के अंदर 110 संविदाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी और वे लोग यहां पर 2 वर्षों से लगातार अपनी पूरी निष्ठा से कार्य में हाथ भी बंटा रहे थे लेकिन मार्च से 31 कर्मियों को यहां से हटा दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उनके सामने रोजी–रोटी का संकट खड़ा कर दिया गया है। मान्यवर, राज्य बनने के बाद उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय में फैकल्टी खुलेगी और संविदाकर्मियों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संविदा–कर्मियों को परीक्षाओं के दौर में भेद–भाव पूर्ण नीति के तहत हटा दिया गया। मान्यवर, यही नहीं इन लोगों के स्थान पर कई ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गयी है, जो इस प्रदेश के नहीं हैं। जबकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि संविदा के अन्तर्गत प्रदेश के लोगों को ही रखा जाएगा। मान्यवर, हम लोकतांत्रिक समाज के निवासी हैं, सही तो यह होता कि जो लोग पिछले एक–डेढ़ माह से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन उनको बुलाकर कहता कि हमारी यह मजबूरियाँ हैं, इसलिए आपको हटाया गया, समय आने पर आपको पुनः रख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्यवाही की गयी। इतना ही नहीं नैनीताल के विभिन्न संगठनों ने जब विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करनी चाही तो उनको बातचीत के लिए समय भी नहीं दिया गया। वहां पर लोगों ने आत्मदाह की नोटिस दी, उसको भी बहुत मुश्किल से सुलझाया गया। ऐसा लग रहा है कि हमारे राज्य में कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। कर्मचारियों को रखने की बात तो दूर रही, उनसे बातचीत तक नहीं की गयी, यह एक गंभीर प्रकरण है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की अनदेखी करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वहां पर शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के लोगों को नहीं रखा जा रहा है तथा जो पदाधिकारी हैं, उनको 6–6, 7–7 महीने में बदला जा रहा है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिन्दु है तथा लोगों के अन्दर जो आक्रोश और निराशा है, उसका समाधान होना ही चाहिए। यदि इनका समाधान नहीं किया गया तो उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

संसदीय कार्यमंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन नहीं किया जाता है। छात्रों के शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से इन श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति एक निश्चित मापदण्ड के अधीन संविदा द्वारा लिए जाने की व्यवस्था है तथा आवश्यक सेवाओं (चौकीदार, स्वच्छक, वाहन चालक तथा छात्रावासों के आवश्यक कर्मचारी) के लिए संविदा पर कर्मियों को रखकर कार्य लिया जाता है। अनावश्यक नियुक्तियों को शासन एवं लेखा सम्परीक्षा द्वारा वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में लिया जाता है।

कुमायूँ विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कुल 108 कार्मिक नियुक्त किये गये थे जिसमें से 33 कार्मिकों की संविदा अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें पुनः संविदा पर नहीं रखा गया है। शेष 75 कार्मिक संविदा के अनुसार कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पिथौरागढ़ नगरपालिका क्षेत्र और उसके आस–पास के क्षेत्रों में जो भयंकर पेयजल की समस्या है, उसे नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में जिसके अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड विण तथा मूनाकोट आता है। इस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र और उसके अन्तर्गत रहने वाली जनता भयंकर पेयजल के संकट के दौर से गुजर रही है। वास्तव में इस समय तो पूरे प्रदेश की जनता भयंकर पेयजल संकट से गुजर रही है। माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में नगरपालिका क्षेत्र से लगे हुए 82 गाँवों के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के लिए आज से 20–25 वर्ष पूर्व एक पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इस क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता का मानक 6.5 एम0एल0डी0 है, वहाँ पर उनको आवश्यकता के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस समय उस क्षेत्र में दो पेयजल योजना कार्य कर रही हैं जिसमें एक हाट पम्प योजना है, 82 गाँवों के लिए, इसका निर्माण 20–25 वर्ष पूर्व किया गया था, इसका लक्ष्य 4 एम0एल0डी0 था, इस योजना ने लक्ष्य के अनुरूप कभी कार्य नहीं किया, इस समय स्थिति यह है कि इस पेयजल योजना से 1.5 एम0एल0डी0 पेयजल की आपूर्ति हो रही है।

दूसरी ठूलीगाड़ पेयजल योजना है, जिसका लक्ष्य 2 एम0एल0डी0 था, वह अपने लक्ष्य के अनुरूप पेयजल आपूर्ति कर रही है। यह दोनों पेयजल योजनायें ग्रेविटी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराती हैं। भिलौरा पेयजल योजना 0.2 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध करा रही है। श्रीमन्, इस प्रकार यदि सभी पेयजल योजनाओं को देखें तो हमको मात्र 4.2 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध होता है अर्थात 6.5 एम0एल0डी0 के सापेक्ष हमको 4.2 एम0एल0डी0 ही पेयजल आपूर्ति हो पा रहा है, यह भी तब जब कि हमको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध हो। माननीया विद्युत मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं, वह कहेंगी कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। मान्यवर, यह दो योजनायें हैं, अगर यह कार्य नहीं करती तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र को 6.5 एम0एल0डी0 पानी की आपूर्ति होनी चाहिए थी, आज की स्थिति ऐसी है कि उन्हें .7 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि जनता आज त्राहि–त्राहि कर रही है। मान्यवर, कुशोली गाँव है, वहाँ पर माननीय सांसद जी ने अपनी सांसद निधि से 90 हजार रुपये दिया। मान्यवर, उस पर कार्य नहीं हो पाया। मैंने अपनी विधायक निधि से भी इस कार्य के लिए धन दिया लेकिन कार्य नहीं हो पाया। मान्यवर, आज कुसौली, जाखनी, पवन बिहारी कालोनी, नैनी–सैनी, जाजरदेवल, पण्डा, सरस्वती बिहार, पियाना, पान्डेगाँव विवेकानन्द कालोनी, कुमौड, विण, धनोडा, टकाना, लिन्थुडा, बैडा, उतरतोला तथा मडोडा, इन गाँवों में भयंकर पेयजल संकट है। वहाँ पर कोई भी योजना विधिवत् रूप से कार्य नहीं कर रही है। वहाँ पर जो जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर ग्रेविटी के पेयजल लाइन का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आये दिन पेयजल को लेकर जनता आंदोलित है।

मान्यवर, पेयजल संकट का मामला केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है। बल्कि आज पूरे राज्य में पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। मान्यवर, मैं दो दिन पहले देहरादून पहुँचा हूँ। मैं जिस आवास में देहरादून में रहता हूँ, वहाँ पर भी पेयजल

का संकट है। मुझे आज विधान-सभा सत्र में भाग लेने हेतु 10 बजे पहुँचना था लेकिन पानी न होने के कारण आने में देर हो गई। मुझे वहाँ पर जरीकेन के माध्यम से पानी मँगवाना पड़ा। कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दो माह से मेरे आवास पर पानी नहीं आ रहा है। इस सम्बन्ध में सम्पर्क भी उनके द्वारा किया गया। मान्यवर, एक बार मैंने स्वयं अपने पैसे से टैंकर द्वारा पानी भरवाया था। मान्यवर, जब देहरादून की यह स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तरांचल में पानी की क्या स्थिति होगी। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है।

मान्यवर, इंद्र कुमार गुजराल जी ने एक बार एक पेयजल संगोष्ठी में पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए कहा था कि भारतवर्ष में तीन तरह की कैटगरी के लोग हैं जो पानी का इस्तेमाल तीन तरह से करते हैं। एक तो वे लोग जो बोतल का पानी पीते हैं। दूसरे वे लोग जो टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे वे लोग हैं जो गन्दे नालों का पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो बोतल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे वे लोग जो गन्दे नालों के पानी का उपयोग करने पर मजबूर हैं। मान्यवर, इससे ज्वलंत समस्या और कोई नहीं हो सकती। मान्यवर, पेयजल संकट पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रखना चाहते हैं। इसलिए इस पर चर्चा कराई जाए। आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर पेयजल संकट पर चर्चा कराई जाए। पेयजल संकट पर कोई निर्णय, कोई निष्कर्ष आज अवश्य निकलना चाहिए। ताकि पेयजल संकट से जूझते हुए लोगों को राहत मिल सके। तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए न हो। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर चर्चा स्वीकार की जाए।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा पहले जनपद पिथौरागढ़ की बात कही गई, फिर जनपद देहरादून की बात कही, उसके बाद माननीय सदस्य बंगलौर में माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी द्वारा पेयजल पर जो बात कही, उसका जिक्र किया। उसके बाद तृतीय विश्वयुद्ध की बात कही। मान्यवर, यह बात सही है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। मैंने अपने भाषणों में भी कहा है कि आने वाला 05-10 साल का समय एक ऐसा समय है जिसमें हमें इधर या उधर होना है, इसीलिए इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लेना ही होगा। कैसे हम अपने जल स्रोतों को बढ़ा सकें, इनके रिसाव को कैसे कम कर सकें, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। यह बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इन पर नियंत्रण न कर सकें। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, मुझे विश्वास है कि हम धीरे-धीरे इस पर काबू पा सकते हैं। हमारी सरकार ने 25-30 प्रतिशत पैसा इस पर खर्च किया है। वर्षा का पानी सीधे-सीधे गंगा में चला जाता है, इस पानी को कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रोका जाय, इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने भिण्ड तथा मोनाकोठ विकासखण्डों का जिक्र किया है। मोनाकोठ में, जो बड़ा कसबा है, वहां पर पानी की व्यवस्था टैंकों के माध्यम से की जाती है। आजकल बहुत तेज आंधी तथा वर्षा हुई है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन फिर भी इस दिशा में हमने टैंकरों के माध्यम से पेयजल का प्रयास किया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे 13 जनपदों के लिए 13 टैंकर हैं। आपदा के नाम से 6 सरकारी टैंकर विभिन्न जनपदों में चले गये हैं। माननीय सदस्य ने जिन–जिन गांवों का जिक्र किया है, मैं आपसे सूचना लूँगा। सरकार की प्राथमिकता रहेगी, जहां जल स्रोत कम हो गये हैं, वहां पर व्यवस्था करेगी। इस दिशा में मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं, जहां–जहां पर जल स्रोतों के संवर्धन की संभावनाएं हैं, उनका चयन किया जाय। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ आप भी ऐसे जगहों की सूचना हमें देने का कष्ट करें।

मान्यवर, आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की आवश्यकता होगी, तो उन स्थानों को चिन्हित करके आप मुझे सूची दे सकते हैं या मेरे अधिकारियों को दे सकते हैं, ताकि कार्यवाही कर सकें। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ किसी व्यक्ति को मेरा टेलीफोन नम्बर न मालूम हो और हर व्यक्ति सीधे सम्पर्क कर लेता है और जैसे ही सूचना मिलती है, तीन घण्टे में कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि जिन लोगों को समस्या हो तो फोन कर दें और मैं फोन से सुन लूंगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी सदाशयता दिखाने के लिए यह बात कही है। मान्यवर, मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि उनको शिकायत करने की नौबत ही न आये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य ने जिक्र किया था इसलिए मैंने कहा कि लोगों की समस्याओं को फोन पर भी सुनते हैं। मान्यवर, जितनी क्राइसेस पिछले साल थी, अब वह नहीं है, कहीं थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक श्री प्रकाश पंत और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मान्यताप्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल अनुरक्षण अनुदान सूची में लिए जाने हेतु संघर्षरत हैं, वर्ष 1998–1999 से। मान्यवर, अनुरक्षण अनुदान सम्बन्धित पत्रावली उत्तर प्रदेश से लम्बित है, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 30 थी और हाई स्कूल 15 थे, जिन्हें कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद उत्तरांचल को हस्तांतरण किया जा चुका है और अब वर्तमान में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 57 और हाई स्कूलों की संख्या 19 है। जिन्हें अनुरक्षण अनुदान सूची में शामिल करना उत्तरांचल में लम्बित है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में समय–समय पर आन्दोलन होते रहते हैं। मान्यवर, उत्तरांचल की अंतरिम सरकार में भी यह मामला उठ चुका है और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा दो बार आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इस मामले को हल किया जायेगा, इस पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, समय–समय पर यह मामला उठा और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज सत्ता में जो लोग हैं, बराबर इन आन्दोलनकारियों के साथ तब थे और आज सरकार में आने के बाद समय–समय पर माननीय मंत्रियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सम्पर्क किया गया और शिक्षा मंत्री जी से भी सम्पर्क किया गया और शिक्षा मंत्री जी ने बार–बार आश्वासन दिया और एक पत्र मुख्य सचिव को भी लिखा जिसमें उल्लेख किया गया कि इसको कैबिनेट नोट बनाया जाए और कैबिनेट में रखा जाए, लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे माननीय मंत्रियों की कोई भी नौकरशाह सुनने को राजी नहीं और मुख्य सचिव ने वह पत्र एक किनारे रख दिया। मान्यवर, इन सब समस्याओं को जो कि जायज माँगें हैं और खर्चा भी प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रु0 आएगा। मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे स्कूलों को अनुदान अनुरक्षण सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इससे पूर्व कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें, मैं सदन के सम्मुख 311 की एक मौखिक नोटिस दे रहा हूँ। बड़े खेद की बात है कि शिक्षक–बन्धु शांतिपूर्वक जुलूस में जा रहे थे, अभी–अभी उनको बुरी तरह पीटा गया है, 05 लोग घायल हुए हैं। मान्यवर, यहाँ सदन चल रहा है, सदन के अन्दर हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए 311 के अन्तर्गत आज आपको मौखिक नोटिस दे रहा हूँ। इस तरह से स्टूडेन्ट्स और जायज माँग करने वालों को पीटा जा रहा है। सरकार को यह निर्देश पहले ही दे देने चाहिए थे कि शांतिपूर्वक जुलूस या प्रदर्शन करने वालों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए। मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाएँ भी ऑन लाइन लाटरी पर प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं कोई दूसरी दुर्घटना न हो जाए, इसलिए मैं यह बात माननीय मंत्री जी के उत्तर आने से पूर्व ही कह रहा हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में अशासकीय विद्यालय अनुदान सूची में लिए जाने के जितने भी प्रकरण हमारे सामने हैं, इसमें अभी विचार चल रहा है, कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और हमारे सामने कठिनाई यह है कि जूनियर हाई स्कूलों के 57 प्रस्ताव हमारे पास जरूर हैं जिनको कि अनुदान सूची में लिए जाने की बात कही जा रही है और 19 हाई स्कूल के हैं। जूनियर हाई स्कूल प्रति विद्यालय रु0 6.55 लाख की दर से 57 विद्यालयों पर कुल रु0 373.35 लाख व्यय होगा, 19 हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने पर प्रति विद्यालय रु0 11.80 लाख की दर से कुल रु0 224.20 लाख वित्तीय भार सरकार पर आएगा। इससे 224.20 लाख रु0 प्रति वर्ष वित्तीय भार सरकार पर आयेगा। इस प्रकार सारा वार्षिक वित्तीय भार 597.55 लाख रु0 सरकार पर आयेगा। यह पूरा अनुमान है। मान्यवर, यह प्रदेश अभी नया बना है, वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अगर अच्छी होती तो जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, अनुदान सूची में लेने के लिए, तो शायद उस समय भी सरकार की ऐसी हैसियत नहीं थी और वर्तमान समय में भी हैसियत नहीं है कि सारे विद्यालयों को अनुदान सूची में ले सकें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कितने विद्यालय ले सकते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अब हम इसको देख रहे हैं। मान्यवर, जो अशासकीय विद्यालय खुल रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने [XXX] लिए भी विद्यालय खोल रखे हैं, यह ठीक बात नहीं है और यह स्वस्थ परम्परा भी नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पर छात्र संख्या भी नहीं है, हम उनको बंद करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने वित्तीय कठिनाई है। इसमें आश्वासन देने की बात है तो मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। वित्त विभाग में हमने फाईल भेजी है जो 57 जूनियर हाई स्कूल और 19 हाई स्कूल इनको अनुदान सूची में लिए जाने की बात है, इसको वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है और अब हम इस मामले को मंत्रिपरिषद् की बैठक में ले जायेंगे क्योंकि इस मसले से बहुत से जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इसलिए इस मसले को मंत्रिपरिषद् में ले जाकर निर्णय लिया जायेगा। उससे पहले कोई भी घोषणा करना हमारे लिए अनुचित है। जहाँ इन शिक्षकों की बात है जो आज आन्दोलन कर रहे हैं, इस बारे में, मैं खुद हैरत में हूँ कि इन लोगों से कल मैंने बात की और इनको आश्वासन भी दिया लेकिन पता नहीं ये लोग किस दल के बहकावे में आकर ऐसी बात कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पहली बात तो यह कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधियों के अपने [XXX] कारण विद्यालय खुल रहे हैं, यह एक प्रकार से माननीय जनप्रतिनिधियों का अपमान है क्योंकि मान्यवर, आप भी जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जनप्रतिनिधि हैं। मान्यवर, मेरी समझ से तो यह पीठ का भी अपमान है। जनप्रतिनिधि इस साइड से हैं और उस साइड से भी हैं, इस प्रकार यह अपमान है और जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का हनन है। मान्यवर, सिफारिश करना जनप्रतिनिधियों का काम है और दूसरा मानकों के हिसाब से स्कूल खुलते हैं न कि जनप्रतिनिधियों के स्वार्थवश स्कूल खुलते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, विद्यालय खोलने के लिए हम जनप्रतिनिधि और जनता दोनों दोषी हैं। मान्यवर, एक किलोमीटर में 5–5, 6–6 विद्यालय खोले गये हैं। मैं इसके लिए अपने आप को भी दोषी मानता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, विद्यालय खोलने में जनप्रतिनिधियों का [XXX] नहीं होता है, जनता का [XXX] होता है। जनप्रतिनिधि विद्यालय खोलने के लिए संस्तुति करते हैं, लेकिन मानकों के अनुसार ही इसकी स्वीकृति दी जाती है। मान्यवर, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को दोष देना, उनका अपमान है। मेरा अनुरोध है कि मैं इसके लिए अवमानना का प्रश्न लाऊँ, इसे वापस ले लिया जाये या कार्यवाही से हटा दिया जाये।

[X X X] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हमने जनता को प्रोत्साहित किया कि विद्यालय खोले जाएं।

श्री अध्यक्ष–

[XXX] शब्द को कार्यवाही से हटा दिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, शिक्षा बन्धुओं के मामले में पिछले वर्ष जब आन्दोलन हुआ था तो हमने उनकी सारी मांगें मान ली थीं। 500 रुपये प्रतिमाह उनका मानदेय भी बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अवकाश अवधि का वेतन दिया जाये, इसे भी हमने मान लिया। 10 महीने का हमने उनका अनुबंध किया। हमने कहा कि ये भी अन्य शिक्षकों के समान हैं, 10 दिन का उन्हें अवकाश भी दिया गया। उनकी मांग थी कि परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक के रूप में उनकी ड्यूटी लगायी जाये, इसे भी हमने मान लिया। उनका कार्यकाल भी हमने बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य क्या होगा? हमने कहा कि आपका भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। यह देखा जायेगा कि जो विषय आप पढ़ाते हैं उसका रिजल्ट क्या रहा है, प्रधानाचार्य से पूछा जायेगा कि आपका व्यवहार कैसा रहा है? इसके बाद हम आपके नियमितीकरण पर विचार कर सकते हैं। मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने आन्दोलन किया और लाठीचार्ज हो गया। मैं सभी माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों से अनुरोध करूँगा कि सरकार की कुछ समस्याएं हैं, हम भी इस तरह के आन्दोलनों को हवा न देकर सरकार की स्थितियों के अनुरूप चलें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, लाठीचार्ज में 5 लोग घायल हुए हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 311 की सूचना दी गई और उसके संज्ञान में आपने माननीय मंत्री जी को सुना। यदि माननीय मंत्री जी को सूचना न होती तो वे इसका उत्तर न देते। मान्यवर, यह नियम 311 की सूचना आपके द्वारा स्वीकार हो चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे नियम 56 में सुन रहा हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमने सूचना नियम 311 में दी थी और माननीय मंत्री जी ने भी उस पर उत्तर दे दिया था। उन लोगों को नौकरी देने की जगह, एक तो जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें निकाल दिया, जो लोग मन लगाकर काम कर रहे हैं, उन्हें तो पुरस्कार दिया जाना

[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चाहिए और आप उन पर डन्डे बरसा रहे हैं। अभी मैं उत्तरकाशी के हर्षिल में था तो वहां पर जो भी अध्यापक मुझे मिला, वह या तो शिक्षा मित्र था या शिक्षा बन्धु। दो साल हो गये हैं, उनको संविदा पर रखा है और आज तक हम उनके लिए कोई नीति नहीं बना पाये हैं कम से कम उनको परमानेन्ट करने की कोई तो नीति सरकार को बनानी चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा कि सरकारीकरण नहीं करेंगे। हम यह नहीं कहते कि सबको परमानेंट कर दो, जो अच्छा काम कर रहा है जिसका रिजल्ट अच्छा जा रहा है, परीक्षण करवाकर उनको परमानेंट कर दीजिए। आप उन्हें इसके लिए कोई भी समय दे दीजिए 2 साल, 3 साल या 4 साल, लेकिन तब तक कोई नीति भी बना दीजिए कि जो काम अच्छा करेगा, जिसका रिजल्ट अच्छा जायेगा उसको परमानेंट कर दिया जायेगा। ये लड़के, जब हमारी सरकार थी तो हमारे पास आये थे। हमने कहा कि हम 1 साल तक कोई नौकरी नहीं दे पायेंगे, नया-नया राज्य बना है हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम एक साल तक बिना पैसे के नौकरी कर लेंगे। हमने कहा कि बिना पैसे के तो नहीं, इनको संविदा पर रख दिया जाये और यह लड़के अच्छा काम कर रहे थे आजकल तो हायर एन्ड फायर का जमाना है जो अच्छा काम करेगा उसे आप परमानेंट करिये और जिसका काम अच्छा नहीं है उसके लिए हम भी कुछ नहीं कहेंगे। जहां पर अपने आदमी होते हैं वहां पर तो संविदा पर रखने के बाद तुरन्त ही परमानेंट कर दिया जाता है और जो लोग 2 साल से अच्छा काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से उन पर आप डन्डे बरसाते हैं यह तो कोई बात नहीं हुई। यहां पर एयरकंडीशन में बैठकर इधर-उधर करने से कोई भला होने वाला नहीं हैं, आप उनके लिए कोई नीति तो निर्धारित कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं अन्य सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(श्री प्रकाश पंत जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना 311 में प्राप्त हुई है हम इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 56 की सूचनायें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं सब सूचनायें अविलम्बनीय लोकमहत्व की होती हैं और हमारे कोई भी अफसरान यहां पर नहीं बैठे हैं जो सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करायें। मान्यवर, एक तरफ तो हम ई-गवर्नेन्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ कोई अधिकारी सदन में नहीं रहते हैं जो कि सही सूचना दे सके। मान्यवर, जितनी देर यह चर्चा हुई उतनी देर में तो सूचना आ जानी चाहिए थी। मान्यवर, आपकी तरफ से भी यह निर्देश होने चाहिए कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेने के लिए कोई जिम्मेदार अफसर यहां पर होने चाहिये।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, यह इतनी महत्वपूर्ण बात है 5 लोग घायल हो गये है, जब कि वे शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह सूचना हमें 311 में प्राप्त हुई है, हम इसका परीक्षण करवा लेंगे, इसे कल देख लिया जायेगा।

अब हम उठते हैं आज 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई

प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाना चाहिए। जहां तक उत्तरांचल राज्य में शिक्षा के प्रतिशत की बात है, तो जो विभागीय टिप्पणी दी गयी है, उसके अनुसार पूरे भारतवर्ष की शिक्षा का जो प्रतिशत है उससे अच्छा शिक्षा का प्रतिशत हमारे राज्य का है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश की उन्नति वहां की शिक्षा पर निर्भर करती है। जहां तक महिलाओं की शिक्षा की बात है, मान्यवर, हमारे राज्य की अर्थ–व्यवस्था महिलाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी प्रथम गुरू उसकी माँ होती है। वह बच्चे को चलना–फिरना, बातचीत करना, पढ़ना लिखना सिखाती है तथा अन्य भौतिक वस्तुओं की जानकारी भी माँ द्वारा ही बच्चे को मिलती है, यदि उस माँ की शिक्षा की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका असर समाज पर पड़ेगा। उस प्रदेश की उन्नति और प्रगति भी इससे प्रभावित होगी। मान्यवर, जब हम पूरे भारतवर्ष की साक्षरता दर की बात करते हैं तो उत्तरांचल राज्य के पुरुषों का स्थान 12वां तथा महिलाओं की शिक्षा का स्थान 18वां आता है।

आज जब हम भारतवर्ष के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो उत्तरांचल का स्थान 18वां बैठता है। केरल में महिलाओं का साक्षरता दर 87.86, मिजोरम में 86.13, लक्षद्वीप में 81.56, चण्डीगढ़ में 76.65, गोवा में 75.51, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में 75.29, दिल्ली में 75.00, पाण्डिचेरी में 74.13, दमन एवं द्वीव में 70.37, हिमांचल में 68.08, महाराष्ट्र 67.51, त्रिपुरा में 65.41, तमिलनाडु में 64.55, पंजाब में 63.55, नगालैण्ड में 61.92, सिक्किम में 61.46, मेघालय में 60.41, उत्तरांचल में यह 60 प्रतिशत है। जितने भी हमारे आसपास के प्रदेश हैं यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ दें क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कम है। हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के राज्य या दक्षिण के राज्य हैं वहाँ साक्षरता प्रतिशत ज्यादा है, इसमें हम पिछड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी आज जब हम इस बारे में विचार करते हैं कि महिला साक्षरता, ठीक नहीं है तो इसका समाज पर भी असर पड़ेगा। आज जब हम महिला और पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तरांचल का अनुपात 964 और 1000 है। मान्यवर, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार ये जिले साक्षरता से अधिक

प्रभावित हैं। आज जब हम महिलाओं के साक्षरता के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, यह आंकड़े उत्तरकाशी में पुरुषों का अनुपात 84.52 और महिलाओं का 47.48, चमोली में पुरुषों का अनुपात 89.89 और महिलाओं का 63.00, रुद्रप्रयाग में पुरुषों का अनुपात 90.73 और महिलाओं का 59.98, टिहरी गढ़वाल में पुरुषों का अनुपात 85.62 और महिलाओं का 49.76, देहरादून में पुरुषों का अनुपात 85.86 और महिलाओं का 71.22, गढ़वाल में पुरुषों का अनुपात 91.47 और महिलाओं का 68.14, पिथौरागढ़ में पुरुषों का अनुपात 90.57 और महिलाओं का 63.14, चम्पावत में पुरुषों का अनुपात 88.13 और महिलाओं का 54.75, अल्मोड़ा में पुरुषों का अनुपात 90.15 और महिलाओं का 61.43, बागेश्वर में पुरुषों का अनुपात 88.56 और महिलाओं का 57.45, नैनीताल में पुरुषों का अनुपात 87.39 और महिलाओं का 70.98, ऊधमसिंह नगर में पुरुषों का अनुपात 76.20 और महिलाओं का 54.16 और हरिद्वार में महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत 52.00 प्रतिशत है और पुरुषों का 75.08 है। उत्तरांचल के इन 13 जिलों में कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हो। यह विचारणीय प्रश्न है। यह नवोदित राज्य है अगर राज्य को अच्छी दिशा देनी है तो निश्चित रूप से उसे शिक्षा के दिशा में बढ़ना होगा। महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत तभी बढ़ेगा जबकि महिलाओं के लिए अलग से इन्टर कालेज की स्थापना हो, इससे निश्चित रूप से इसमें वृद्धि होगी।

मान्यवर, भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं रखा जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 41 में स्पष्ट लिखा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। मान्यवर, राज्य बनते समय हमने शिक्षा के बारे में जो कल्पना की थी, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खास तौर से महिलाओं की शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मान्यवर, इसके लिए कोई नीति बननी चाहिए थी वह नहीं बन पाई है। उत्तरांचल के 13 जनपदों के प्रत्येक विकासखण्ड में महिलाओं के लिए एक अलग इण्टर कालेज की स्थापना होनी चाहिए। जिससे महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। महिलाओं के शिक्षित होने से उत्तरांचल प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के लिए, मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय सदस्य ने आंकड़ों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, राज्य को बने हुए लगभग ढाई वर्ष हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने जैसा कि आज बताया कि राज्य में 225 ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पर छात्रों की संख्या 10 है। श्रीमन्, उत्तरांचल राज्य के अन्दर 15,651 आबाद ग्राम हैं। 955 गाँव आजादी के बाद गैर आबाद और निर्जन हो चुके हैं। जिसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। लोग गाँवों से पलायन कर करके महानगरों और नगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। मान्यवर, निश्चित रूप से आजादी के बाद साक्षरता दर में निश्चित रूप

से बढ़ोत्तरी हुई है किन्तु यह बढ़ोत्तरी केवल उत्तरांचल राज्य में ही नहीं हुई। वरन् यह बढ़ोत्तरी तो भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में हुई। यदि हम आंकडों पर नजर डालें तो निश्चित रूप से हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई है उन सब में शिक्षा को महत्व दिया गया है। श्रीमन्, आज यह प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इसलिए रखा कि सरकार इस सम्बन्ध में एक नीति बनाये। आखिर हम कब तक बिना नीति के चलते रहेंगे।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 41 का अनुश्रवण करते हुए सामाजिक न्याय देने का कष्ट करें, मैं चाहता हूँ इसमें वित्तीय स्थिति आड़े नहीं आनी चाहिए। इसको राज्य स्तर पर देखें, देश स्तर पर देखें। उत्तरांचल राज्य में इस सरकार के (ढाई वर्ष) के कार्यकाल में भी शिक्षा जैसे विषय पर कोई नीति नहीं बनी है। यह निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे पूरे भारतवर्ष में राज्य की साक्षरता दर सबसे ऊपर हो। मैं चाहता हूँ माननीय श्री मदन कौशिक जी का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पास करे, ताकि सरकार के माध्यम से निर्देश हों कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु कोई नीति लागू हो।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, माननीय श्री मदन कौशिक तथा श्री प्रकाश पंत ने आंकडों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारे उत्तरांचल में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे राष्ट्र में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है, जबकि उत्तरांचल में यह दर 60.26 प्रतिशत है यानि कि लगभग 6 प्रतिशत अधिक। पूरे देश में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है, मैं समझता हूँ हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो केरल के बराबर आ जायेंगे। मान्यवर, पूरे प्रदेश में हमने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सह शिक्षा है तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्कूल खुले हुए हैं। पूरे प्रदेश में हमने महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं रखा है। पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हर ब्लॉक स्तर पर एक महिला इण्टर कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था इसके तहत हमारे हरिद्वार जनपद में 4 विद्यालय हैं, जिनके लिए हमने 5–5 लाख रु0 अनुदान दिया है अर्थात् कुल 20 लाख रु0 हमने दिये हैं। मान्यवर, जो निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, अभी यह नया प्रदेश है, आज जो हमारे प्रदेश की स्थिति है, वह वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। इस समय हमारे सामने कई समस्यायें हैं जैसे– अनुदान के सम्बन्ध में कई विद्यालय अनुदान मांग रहे हैं, विद्यालय के उच्चीकरण की मांग कर रहे हैं, अध्यापकों की समस्या है, शिक्षा मित्र आंदोलित हैं, शिक्षा बन्धु आंदोलित हैं, अंशकालिक शिक्षक जो कि बाद में वंचित रह गये हैं, उनकी समस्या है। व्यवसायिक शिक्षकों की समस्या हमारे सामने है। लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि धीरे–धीरे जितनी भी समस्यायें आज हैं, उन समस्याओं को धीरे–धीरे हल करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम सजग हैं और हमारा प्रयास है कि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़े और उसके लिए हम निश्चित योजना के साथ काम करें। सर्व शिक्षा अभियान में हमारा प्रयास है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह जाए और

इसके सम्बन्ध में आज वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलें हैं। हमारी सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ की और 1139 इण्टरमीडिएट कालेज में दे दिये हैं। हमारे साथियों को भ्रम था कि हमने कम्प्यूटर वहाँ दे दिया जहाँ बिजली नहीं है, तो जहाँ कम्प्यूटर दिया वहाँ बिजली हो या न हो, कम्प्यूटरों के साथ जनरेटर भी दिया है। मान्यवर, जिसकी आपको चिन्ता है वह हमारी भी चिन्ता है। कन्या विद्यालय हाई स्कूल में भी हमने कम्प्यूटर दिये हैं, यह हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे साबित होता है कि हम सजग हैं और प्रयत्नशील हैं। जिस तरीके से आज हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि बालिकायें भी समकक्ष आ जाए। हमारा यह भी प्रयास है कि हम ब्लाक में बालिका विद्यालय खोले। मान्यवर, अगर हम यह सब एक साथ न कर सकें, तो भी हम एक–एक जनपदों में धीरे–धीरे करके पूरी जगह करेंगे।

मान्यवर, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि जब हम सजग हैं, हम सभी कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप भी हमारे साथ सहयोग करें और जो संकल्प आपका है, वह हमारा भी है। जो आपका दर्द है, जो आपकी पीड़ा है हम भी उसमें सम्मिलित हैं, अतः आप अपना संकल्प वापस लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो पूरे आँकड़े शिक्षा विभाग के प्रस्तुत किए, इसमें से अधिकतर केन्द्र–पोषित हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ब्लाक स्तर पर एक कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खोलें तो मान्यवर, इसमें नीति बनाने में क्या परेशानी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल किये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, जड़ी–बूटी और पर्यटक स्थलों से भरपूर है, अर्थात् प्रकृति ने इस राज्य को सजाया, सँवारा है, मगर यह प्रदेश उद्योग शून्य है और रोजगार के लिए हमारे युवक देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रोजगार के लिए तरह–तरह की ठोकरें खाते रहते हैं। मान्यवर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को उद्योग लगाने के लिए एक योजना चलायी गयी थी। बेरोजगार युवक अपना उद्योग चयन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं किन्तु दुर्भाग्य है कि उनको समय पर ऋण नहीं मिलता है। बैंक कई अड़चने लगाते हैं और उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होता है यहाँ तक कि कभी बैंक उनसे जमीन की रजिस्ट्री माँगते हैं, कभी एफ0डी0 माँगते हैं और कभी जमानत के लिए कहते हैं। मान्यवर, यदि वे लोग सम्पन्न होते, यदि उनके पास जमीन होती, यदि उनके पास पैसा होता, तो ऋण लेने

के लिए क्यों याचना करते। मान्यवर, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन में यह विचार रखने के लिए भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो ऋण की व्यवस्था की गयी है उसको सरल कर दिया जाए और हम तो भारत सरकार के बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने उत्तरांचल सरकार को एक आर्थिक पैकेज दिया है।

मान्यवर, औद्योगिक पैकेज जनवरी में भारत सरकार ने उत्तरांचल को दे दिया था।

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, जनवरी में नहीं दिया गया बल्कि 7 जनवरी को घोषणा हुई थी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय किशोर उपाध्याय जी इस विभाग के मंत्री हैं इनको ज्यादा पता होगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में इसके सम्बन्ध में प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे राज्य में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हमारे बेरोजगार नवयुवक दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाई जाए। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सभी विभाग एक छत के नीचे एक टेबल पर बैठकर उसमें बैंक वाले हो, उद्योग विभाग हो, बेरोजगारों की बातें सुने और मदद करें, न कि वे बैंक के चक्कर काटे, उद्योग विभाग के चक्कर काटे। सरलता से इन बेरोजगारों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाए तो उत्तरांचल के बेरोजगार भाईयों के हित में होगा। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उत्तरांचल की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उत्तरांचल के कोने–कोने पर उद्योग लगाने के लिए, बेरोजगार नवयुवकों को ऋण दिलाने के लिए जो बैंक में अव्यवस्था होती है उनको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको दूर करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उनको सरलता से ऋण मिल सके।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी जी के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण विषय है। सदन के सभी सदस्य इस बात से भिज्ञ हैं। वास्तव में जो योजना चल रही है उस योजना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों की दुर्दशा हो रही है वह अवर्णनीय है अर्थात् इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पर बोलने पर असंसदीय हो जाएगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बग्वालू नामक जगह पर एक बैंक है। वहाँ पर एक व्यक्ति को जिला उद्योग की तरफ से लोन स्वीकृत हुआ। जब वह बैंक गया तो बैंक वालों ने कहा कि आपको तो धनराशि उतनी ही मिलेगी जितनी स्वीकृत हुई है लेकिन उसमें से 10 प्रतिशत कट जायेगा। क्योंकि इस धनराशि में से कुछ पैसा लेन–देन में खर्च हो जाता है। आपको चैक पूरा मिलेगा लेकिन उसमें से आपको 10 प्रतिशत हमें देना होगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर दो लाख रु0 स्वीकृत होता है तो उसमें से 10 प्रतिशत उसको बैंक के अधिकारी को भेंट स्वरूप देना पड़ेगा।

मान्यवर, लेकिन यह व्यक्ति इस धनराशि को लेने के लिए जगह–जगह जा रहा है, कई जगह उसे भटकना पड़ रहा है, लेकिन इसे ऑन रिकार्ड साबित नहीं किया जा सकता है। हमारी नीति बनने के बावजूद क्यों हम इसे सही रूप में परिणित नहीं कर पा रहे हैं। लीड बैंक अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिलाधिकारी अपने जिलों में इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं या नहीं, कितने लोगों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। इसके लिए हर जिले में इसकी बैठक होनी चाहिए। सी0डी0ओ0, डी0एम0, लीड बैंक अधिकारियों को चाहिए कि जिन–जिन को ऋण की स्वीकृति होती है, स्वीकृति के बाद इसकी मॉनीटरिंग करें कि उनकी स्वीकृति जारी हुई या नहीं? यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? स्वीकृति जारी होने की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी यह भी बताएं कि अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विभिन्न जिलों में अद्यतन स्थिति क्या है? कितने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है? ये सब बातें सदन के सामने आनी चाहिए और जो हो रहा है उसे रोकने का प्रयत्न भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मान्यवर, इन सब चीजों को देखते हुए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सदन को अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिए ताकि इस प्रदेश की जो मुख्य समस्या बेरोजगारी की है, उससे निजात पाई जा सके। सरकार 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी। रोजगार सृजन में प्राईवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल करके बेरोजगारी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, दो चीजें और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा क्योंकि माननीय उद्योग मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो उत्तरांचल के उद्योग जगत को इस बात का बहुत दुख है कि केन्द्र सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति घोषित कर दी है लेकिन प्रदेश सरकार अपनी औद्योगिक नीति घोषित नहीं कर पा रही है। अभी तक औद्योगिक नीति की घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं की है। मैं पहले भी इस तरह के सुझाव देता रहा हूँ।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने औद्योगिक नीति घोषित की है, लेकिन अभी इसका नोटीफिकेशन नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सरकार जब तक सही मायनों में इस प्रदेश के क्लाईमेट के अनुसार, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार औद्योगिक मास्टर प्लान नहीं बनायेगी तब तक उद्योगों को जगह–जगह खोलने से प्रदूषण आदि की समस्या बनी रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार औद्योगिक योजना को लाने से पहले पूरे प्रदेश का औद्योगिक मास्टर प्लान बनाये और पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं, वहां पर छोटे उद्योग लगाये जायें। वे कच्चा माल तैयार करें और जो बड़े उद्योग मैदानी क्षेत्र में लगें, उन्हें वे सप्लाई करें। इससे पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मुहैया हो जायेगा। मान्यवर, स्पष्ट उद्योग नीति नहीं है जिसके कारण जो लोग यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं वे भी भयभीत हैं कि उत्तरांचल में हम उद्योग तो लगायेंगे पर क्या यह सफल हो सकेगा। माननीय उद्योग मंत्री जी भी यहां पर हैं वे शायद इस पर विचार करेंगे। जो उद्योग यहां पर लगे हैं उनमें भी घबराहट है उनकी भी बात को सुना जाये और उसके अनुसार ही कोई नीति निर्धारित की जाये। यह मेरा, सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय कण्डारी जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए एक–दो बातें कहना चाहता हूँ। उद्योग मंत्री जी भी यहां बैठे हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विषय चल रहा है। लघु उद्योग हों, ऐसी कल्पना है।

मान्यवर, जिला उद्योग केन्द्र हैं वहां पर आवेदकों द्वारा अपने आवेदन दिये जाते हैं और जिन–जिन के आवेदन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं उनको ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माननीय मंत्री जी का इसमें वक्तव्य आना चाहिए कि पिछले वर्ष में कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उनमें से कितने लोगों को बैंक से ऋण मिला? एक और बात प्रायः देखने में आती है कि जिला उद्योग केन्द्रों में यह पहले से ही तय रहता है किस व्यक्ति के आवेदन प्रस्ताव को स्वीकृत करना है और उन्हीं लोगों को लोन दिया जाता है और बार–बार एक ही संस्था या व्यक्ति को लोन मिलता है। बैंक की अपनी अलग प्रक्रिया है लोन देने की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ही कई लोगों को या संस्थाओं को ऋण आवंटित हुआ है तो क्या उतने उद्योग यहां पर स्थापित हुये हैं जितनों को ऋण मिला है ? यह भी देखने की चीज है। मैं सदन के माध्यम से यह चाहूँगा कि लोन की जो प्रक्रिया है उसको और सरल होना चाहिए। एक बेरोजगार व्यक्ति गारंटर कहां से लायेगा? 1 लाख, 5 लाख की एफ0डी0 वह कहां से दिखायेगा? तो एक बेरोजगार आदमी यह सब कहां से लायेगा? मान्यवर, यह सब चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक यह उत्तरांचल में लागू नहीं हो सकेगा। इस प्रक्रिया को सरल होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति इसका लाभ उठा सके।

मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे सदन को यह बतायें कि जिन लोगों के लिए जो व्यवस्था सुनिश्चित की थी उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कण्डारी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के उद्देश्य से खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रख दिए हैं, लेकिन चूँकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूँ। बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की चिन्ता सिर्फ सरकार की

ही नहीं है, यह पूरे देश के समाज की चिन्ता का विषय है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देना है, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इस योजना का लाभ लेने में बेरोजगार युवकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने का दायित्व सरकार का होता है। जब कोई बेरोजगार व्यक्ति उद्योग केन्द्र में जाकर इस योजना का लाभ उठाने का प्रयास करता है, तो उसके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वह बैंक है। चयन समिति के माध्यम से जिस बैंक का चयन किया जाता है, जब उस बैंक में कोई बेरोजगार युवक जाता है तो उससे गारण्टी मांगी जाती है, यदि उस युवक के पास गारण्टी नहीं है, तो बैंक उसको रिफ्यूज कर देता है। यदि उस युवक के पास गारण्टी होती तो वह बैंक के चक्कर क्यों लगाता, स्वयं के पैसों से कोई रोजगार नहीं कर लेता? इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी दिक्कत राष्ट्रीयकृत बैंक की आती है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसमें सरलीकरण करना चाहिए तथा को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से भी ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। रोजगार योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इन दो बातों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तातव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, बेरोजगार नवयुवक उद्योग का चयन करके जब ऋण के लिए बैंक में आवेदन करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि हर बैंक का कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इस बैंक के नाम 2 केस हैं तथा उस बैंक के नाम 3 केस हैं। प्रश्न यह उठता है कि जिस बैंक का कोटा 2 केस का है, वह 3 केस नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर बैंक का कोटा बढ़ाने पर विचार किया जाय, जिससे बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*उद्योग मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी को लेकर माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह सही है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1993–94 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत सामान्य लाभार्थी को उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

मान्यवर, व्यवसाय के रूप में एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें 15 प्रतिशत की सब्सिडी देना निश्चित है। जो अधिकतम साढ़े सात हजार रुपये दी जाती है। अभी भारत सरकार ने हमारे प्रदेश को जो औद्योगिक पैकेज दिया उसके तहत सब्सिडी साढ़े सात हजार से बढ़ा करके 15 हजार कर दी गई है। इस योजना के लिए जिस लाभार्थी का चयन होता है उसकी कम से कम 8 पास की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, उसकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए अभी भारत सरकार ने इस आयु सीमा को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाकर के 40 कर दी है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष कर दी है। इसमें अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसे किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वह उद्योग लगाना चाहता है वहाँ का तीन साल का निवासी होना चाहिए, ये शर्तें हैं। उसमें उद्योग विभाग के महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें बैंक प्रबन्धक भी शामिल होते हैं। वह लाभार्थियों का चयन करते हैं बैंकों को इसमें प्रार्थना-पत्र जाते हैं कि वह अभ्यर्थियों को ऋण उपलब्ध करायें। कहीं पर कठिनाई होती है तो हमारे अधिकारी उसका समाधान करते हैं।

हमारे प्रदेश में जो प्रधानमंत्री योजना में ऋण देने का लक्ष्य है पिछले साल 6 हजार का था उस लक्ष्य के तहत हमने लगभग 4412 लाभार्थियों को ऋण मुहैया कराया। अगर आप जनपदवार आंकड़े चाहते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें हमारी विशेष रूप से यह कोशिश होती है कि जो बेरोजगार लड़के हैं उन्हें स्वरोजगार हेतु निश्चित रूप से लाभ देने की कोशिश की जाती है। बहुत छोटी-छोटी इकाई इससे निर्धारित होती है वह दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाते हैं, जैसे : मसाला पीसने की चक्की, आटा चक्की गाँव में लगे हुए हैं। इस योजना का लाभ हमारे शिक्षित बेरोजगार निश्चित रूप से उठा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसमें जो कमियाँ हैं उनको हम अपने अधिकारियों को निर्देशित करके उनमें सुधार लायेंगे।

हमारे माननीय सदस्य श्री भट्ट जी ने जो बात उठाई वह हमारे संज्ञान में नहीं है, इसमें हम निश्चित रूप से जो अधिकारी लिप्त होंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। इसमें हमारी निश्चित रूप से कोशिश रहेगी कि भारत सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करता है वह एक निर्धारित समय के लिए करता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेरोजगार लड़कों को इस योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें।

मान्यवर, इसे और अधिक बढ़ाया जाए, हमारे प्रदेश में ऋण वसूली का प्रतिशत भी अन्य प्रदेशों से अच्छा है। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे। उनकी चिन्ताओं के साथ हम भी शामिल हैं। सभी के सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं माननीय कण्डारी जी से निवेदन करूँगा कि वह अपने संकल्प को वापस लें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से सरलीकरण के लिए कहा था। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया। माननीय राज्य मंत्री श्री किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि हम केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज नहीं ले सके, अर्थात् सरकार सक्षम नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप इधर आ जाएं हम उधर बैठ जाते हैं, फिर देखिए किस तरह से चुटकी में हम औद्योगिक पैकेज लाते हैं। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, आपने मेरे नाम का उल्लेख किया है मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ऋण की प्रक्रिया को सरलीकरण करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना

चाहता हूँ कि को–ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर जितने भी बैंक हैं वह सभी केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही है कि इसका लक्ष्य बढ़ाया जाए जितने भी ऋण सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र आए उन सभी को ऋण दिया जाए तो यह भी केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मान्यवर, जो औद्योगिक पैकेज की बात कही गई है। औद्योगिक पैकेज का जो नोटीफिकेशन हुआ है वह कल हुआ है। जब कि इसकी घोषणा 7 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी नैनीताल आए थे तो की गई थी। इसमें क्यों विलम्ब हुआ इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता? औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में चीमा साहब द्वारा जो चिन्ता जाहिर की तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपके सामने एक अच्छी औद्योगिक नीति आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए इस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

आज नियम 103 के अन्तर्गत शेष जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा बजट के बाद जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 का आय–व्ययक का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया आप बैठकर बजट प्रस्तुत करें।

(श्री नारायण दत्त तिवारी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया)

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुज्ञा से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2003–2004 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तरांचल राज्य की महान जनता की शुभकामनाओं व सम्मानित माननीय सदस्यों के सहकार से मुझ सेवक को प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। . . . . रचनात्मक आह्वान के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2003–2004 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री काजी निजामुद्दीन आप अपने प्रस्ताव पर अपनी बात रखें।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित कर दिये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग द्वारा रिकग्नाइज्ड विद्यालय थे, उत्तर प्रदेश में 2 भाषा हैं। मान्यवर, तीसरी भाषा जिसे विद्यालय में पढ़ाई जाती थी उसमें अध्यापकों के लिए अनुदान सरकार देती थी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में दो ही भाषा पढ़ाई जाती हैं और तीसरी भाषा प्राचीन भाषा है जिससे कि हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, उर्दू भाषा अपने आप में एक खूबसूरत भाषा है। मान्यवर, उर्दू भाषा का कोई ख्याल नहीं रखता है।

मान्यवर, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ।

"सब मेरे चाहने वाले हैं पर मेरा कोई नहीं।
मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ।"

हर आदमी उर्दू को पसन्द करता है, लेकिन आज उर्दू नहीं है। उर्दू तो क्या संस्कृत भी नहीं है, लेकिन संस्कृत अकादमी का गठन तो कर दिया गया। मैंने कई बार यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि उर्दू अकादमी का गठन कर दीजिए। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं अपने आपको काजी निजामुद्दीन जी से सम्बद्ध करता हूँ तथा माँग करता हूँ कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिए जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित कर दिया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में समस्त राजकीय इण्टर कालेजों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, दीक्षा विद्यालयों से सम्बन्धित आदर्श विद्यालयों, सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए त्रिभाषा अनुदान स्वीकृत किया जाता था। इसके लिए शिक्षकों को त्रिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। त्रिभाषा के अन्तर्गत हिन्दी क्षेत्रीय भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भाषा एवं अंग्रेजी भाषा आती है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलगू, उर्दू इन भाषाओं को इसमें स्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए निम्न शर्तों का होना अनिवार्य है। त्रिभाषा के अन्तर्गत यदि कोई विद्यालय मान्यता चाहता है तो इसके लिए विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, प्रबन्ध तंत्र बाधित न हो, विद्यालय द्वारा विभागीय नियमों का भली–भाँति पालन किया जा रहा हो, त्रिभाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मानक के अनुसार हो, त्रिभाषा

शिक्षक की नियुक्ति सुसंगत सेवा नियमावली, विभागीय आदेशों के तहत नियमानुसार की गयी हो। त्रिभाषा अनुदान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा आवश्यक प्रस्ताव उपरोक्तानुसार वित्तीय उपाशयता सहित उचित माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। इसके उपरान्त ही सरकार इस पर विचार कर, अनुदान स्वीकृत करती है। तो मान्यवर, इस तरह का कोई भी आवेदन किसी भी विद्यालय का मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं आग्रह करूँगा कि यदि वे त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत मान्यता चाहते हैं तो वे आवेदन करें, इसे हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आप यह संकल्प वापस ले लें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो मैं चाह रहा हूँ वही माननीय मंत्री जी भी चाह रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि क्यों न इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित कर दिया जाए"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, इनमें श्री बलबीर सिंह नेगी की जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत दिनांक 29–5–2003 को घनसाली–अखोड़ी मार्ग पर बस दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना को वक्तव्य के लिए तथा श्री अजय भट्ट की उत्तरांचल में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
12 जून, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव,
उत्तरांचल विधान सभा।

नत्थी ''क''

[देखिये ता0प्र0सं0 5 (पीछे पृष्ठ संख्या 15 के प्रश्न) का उत्तर]

संलग्नक

फैक्स द्वारा

आज ही

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

संख्या : 197/मा0सं0वि0 11(1)/2001

प्रेषक :–

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
उत्तरांचल शासन।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून : दिनांक 30 मई, 2003

विषयः– प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्रांक/वार्षिक प्रबन्ध–2003/1349/2003–04, दिनांक 23 अप्रैल, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2003–2004 के लिए शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित किये गये हैं :–

1. शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु विद्यालयों को दूरी के आधार पर निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है :–

    (क) सुगम–राजधानी, जनपद, तहसील एवं नगर मुख्यालय से 20 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत;

    (ख) दुर्गम–उपरोक्त (क) को छोड़कर मोटर मार्ग से 10 किमी0 तक पैदल वाले स्थान;

    (ग) अति दुर्गम–उपरोक्त दोनों को छोड़कर।

2. प्रमुख सिद्धान्त :-

(क) स्थानान्तरण कम से कम किये जायं। यथासम्भव रिक्त पद के प्रति एवं परस्पर स्थानान्तरण ही किये जायं।

(ख) दूरस्थ विद्यालयों में जहां अध्यापक कम हों वहां से यथासम्भव अध्यापक न हटाये जायं।

(ग) स्थानान्तरण केवल रिक्त पद के प्रति विषयवार ही किया जाय।

(घ) असंगत विषय पर कोई भी शिक्षक न तो कार्यरत रहेगा और न ही किसी शिक्षक का असंगत विषय के प्रति स्थानान्तरण किया जायेगा।

(च) रिक्त पदों पर ही (वर्ग एवं विषय के दृष्टिगत) बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जाय।

3. अन्य सिद्धान्त :-

(क) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनके मूल जनपदों में स्थानान्तरित किये जाने को प्राथमिकता दी जाय।

(ख) एक ही विद्यालय में तीन वर्ष की अवधि से पूर्व किसी भी बेसिक अथवा माध्यमिक शिक्षक का स्थानान्तरण (अपवाद स्वरूप स्थिति को छोड़कर) न किया जाय।

(ग) किसी भी शिक्षक को किसी भी दशा में सम्बद्ध न किया जाय।

(घ) नवीन विद्यालयों में विद्यालय संचालन के लिए पूर्व में तैनात शिक्षकों को पद सृजित होने की दशा में उन्हें उसी विद्यालय में नियमानुसार समायोजित किया जाय।

(च) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अधिकतम 5 वर्ष और बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 10 वर्ष से अधिक अवधि तक किसी एक विद्यालय में नहीं रह सकेंगे, किन्तु दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में उक्त समयावधि लागू नहीं की जायेगी।

(छ) विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक कार्यरत नहीं रहेंगे, अर्थात् स्थानान्तरण के समय विद्यालय की स्वीकृत पदों की संख्या को दृष्टिगत रखा जाय।

(ज) दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षकों को सुगम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में स्थानान्तरण की विशेष सुविधा प्रदान की जाय तथा सुगम क्षेत्रों में सर्वाधिक ठहराव वाले शिक्षकों को स्थानान्तरित किया जाय।

(झ) चिकित्सा प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा मेडिकल बोर्ड के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र

के आधार पर ही आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। मैडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में रोग विशेषज्ञों से गठित की जायेगी।

4. स्थानान्तरण के लिए गठित समितियां :–

(क) बेसिक शिक्षा :

(1) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के मण्डल के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति –

(अ) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सम्बन्धित मण्डल – अध्यक्ष

(ब) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद – सदस्य

(स) वरिष्ठतम उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद – सदस्य

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण अन्तर्मण्डलीय समिति द्वारा किये जायेंगे।

(2) प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति –

(अ) उप प्राचार्य डायट/जिला विद्यालय निरीक्षक (जो भी वरिष्ठ हो तथा जिस जनपद में उप प्राचार्य डायट नहीं हैं, उन जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक) – अध्यक्ष

(ब) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(स) वरिष्ठतम उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद – सदस्य

(3) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समिति–

(अ) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) – अध्यक्ष

(ब) सम्बन्धित जनपदों के जि०बे०शि०अ० – सदस्य

(4) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु समिति–

(अ) अपर शिक्षा निदेशक – अध्यक्ष

(ब) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, सम्बन्धित मण्डल – सदस्य

(ख) माध्यमिक शिक्षा :

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज) के सहायक अध्यापक एल०टी०/सी०टी० वेतनक्रम के स्थानान्तरण हेतु समिति–

(अ) जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद – अध्यक्ष

(ब) वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, प्राचार्य द्वारा नामित – सदस्य

(ग) वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका – 2 सदस्य

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रा०इ०का० के प्रवक्ता तथा रा०उ०मा०वि० के एल०टी० वेतनक्रम के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समिति–

(अ) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सम्बन्धित मण्डल – अध्यक्ष

(ब) जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद – सदस्य

(स) उप प्राचार्य डायट, सम्बन्धित जनपद अथवा प्राचार्य द्वारा नामित सदस्य – सदस्य

(3) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण समिति (अन्तर्मण्डलीय)–

(अ) अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल – अध्यक्ष

(ब) संयुक्त शिक्षा निदेशक, सम्बन्धित मण्डल – सदस्य

(4) रा०उ०मा०वि० तथा रा०इ०का० के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के स्थानान्तरण हेतु अधिकार शिक्षा निदेशक के पास रहेंगे।

(5) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति पूर्ववत् रहेगी।

स्थानान्तरण के लिए गठित उपरोक्त समितियां समस्त प्रार्थना–पत्रों पर समग्र रूप से नियमानुसार विचार कर बैठक की तिथि को ही कार्यवृत्त पर समेकित रूप से हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निर्गत की जायेगी।

5. स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय :

(क) उपरोक्त प्रस्तर में अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून, 2003 तक ही आदेश जारी किये जा सकेंगे। उपरोक्त तिथि के उपरान्त इस स्तर से किसी भी दशा में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

(ख) स्थानान्तरण के समय कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं० 596/कार्मिक–2/2002, दिनांक 19 जुलाई, 2002 में उल्लिखित अन्य प्राविधानों का विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(ग) इस स्थानान्तरण सत्र में उचित माध्यम से जितने प्रार्थना–पत्र अवशेष रह जायेंगे उन पर आगामी शैक्षिक सत्र से पूर्व विश्लेषण कर भविष्य की नीति निर्धारण हेतु मुख्य तथ्यों को प्रयोग में लाया जाय ताकि यथासमय अवशेष समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सके।

समिति द्वारा विभिन्न तिथियों का कार्यवृत्त एवं निर्गत किये गये आदेशों की प्रतियां प्रत्येक दशा में दिनांक 21–06–2003 तक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी।

समिति द्वारा स्थानान्तरण करते समय पर्याप्त पारदर्शिता अपनायी जायेगी। यदि स्थानान्तरणों में पारदर्शिता परिलक्षित न हो एवं उपरोक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न किया गया हो, तो इसके लिए समिति एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें इस परिप्रेक्ष्य में सुनने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

कृपया, उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव निर्धारित मानकानुसार शासन को उपलब्ध कराते हुए शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/माध्यमिक/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक, 2 सुभाष रोड, देहरादून।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरांचल।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरांचल।
5. समस्त सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तरांचल।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
7. अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एम0 रामचन्द्रन)
प्रमुख सचिव।

नत्थी "ख"

[देखिये (पीछे पृष्ठ संख्या 40 पर आये) उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में निम्नलिखित शाब्दिक/आनुषांगिक संशोधनों का विवरण]

संलग्नक

विषय सूची में धारा–24 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "19" के स्थान पर "20", धारा–45 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "40" के स्थान पर "41", धारा–91 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "68" के स्थान पर "67", धारा–112 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "81" के स्थान पर "82", तथा धारा–158 व धारा 159 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "105" के स्थान पर "106" कर दिया गया है।

विषय सूची में अध्याय 14 के शीर्षक में "भास्तियाँ" के स्थान पर "शास्तियाँ" कर दिया गया है।

प्रथम पृष्ठ में अध्याय–1 से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया गया है :–

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003

विधेयक, ...वर्ष, 2003

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के स्थान पर उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित।

धारा 1 के द्वितीय पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "उपबन्ध" के पश्चात् "उस" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अपेक्षित" के पश्चात् "न" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की उपधारा (ब) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया गया है:–

(ब–1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो।

धारा 2 की उपधारा (ब) के बाद उल्लिखित प्रतिबन्ध के खण्ड (III) की अन्तिम पंक्ति में "सहकारी समिति" के बाद शब्द "के" हटा दिया गया है।

पृष्ठ 2 पर अंकित धारा 2 की उपधारा (ब–1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो, को हटा दिया गया है।

धारा 2 की उपधारा (व) की तृतीय पंक्ति में परिसम्पत्तियों के पश्चात् शब्द "से" के स्थान पर "में" कर दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड "ह" की तृतीय पंक्ति में शब्द "एक्ट" के पश्चात् "1934" जोड़ दिया गया है तथा शब्द "शेडयूल्ड" के स्थान पर " अनुसूचित" कर दिया गया है।

धारा 2 की उपधारा (ह–1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कम्पनीज" के स्थान पर "रेगुलेशन" व "1964" के स्थान पर "1949" तथा द्वितीय पंक्ति में "धारा 5" के बाद "(1) (सी0सी0 1)" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह–2) के खण्ड (1) में शब्द "करना" के पश्चात् शब्द "है" के स्थान पर "हो" कर दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह–2) के खण्ड (2) में "रक्षित निधि" के पश्चात् "तत्समय प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्डों के अनुरूप हो।" के स्थान पर "एक लाख रुपये से कम न हो।" कर दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड "(ह–3) श्रम संविदा सहकारी समिति वेतनभोगी सहकारी समिति भूतपूर्व सैनिक कल्याण समितियाँ" को हटा दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह–3) के पश्चात् क्रमांक 1 के खण्ड (घ) की द्वितीय पंक्ति "चीफ एक्जीक्यूटिव मैनेजिंग" के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" कर दिया गया है तथा खण्ड (छ) की तृतीय पंक्ति में शब्द "धारा" के पश्चात् "की" जोड़ दिया गया है।

धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की तृतीय पंक्ति में शब्द "संस्थित" के स्थान पर "सुस्थित" कर दिया गया है।

धारा 7 के द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्राप्त" के स्थान पर "देने" कर दिया गया है तथा शब्द "होने" हटा दिया गया है।

धारा 8 की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "प्रमाण" के पश्चात् "–पत्र" हटा दिया गया है।

धारा 12 की उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "नियम" के स्थान पर "नियत" कर दिया गया है।

धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "मा क" के स्थान पर "मानक" कर दिया गया है।

धारा 24 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "निर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "न" को हटा दिया गया है।

धारा 24 की उपधारा (2) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "दायित्व" के पूर्व "समिति" के स्थान पर "सीमित" कर दिया गया है।

धारा 24 की उपधारा (3) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अथवा" के पश्चात् शब्द "विधिक" जोड़ दिया गया है।

धारा 28 के शीर्षक में शब्द "अधिकार" के स्थान पर "प्राधिकार" कर दिया गया है।

धारा 29 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निर्वाचन" के पश्चात् "नियमावली में वर्णित प्रक्रिया से संचालित कराया जाये।" को हटा दिया गया है।

धारा 29 की उपधारा (7) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "यथास्थिति" के पश्चात् "प्रशासक या कमेटी से समिति का" को हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर "प्रबन्ध लेने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार" जोड दिया गया है।

धारा 31 (क) की उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "सहकारी" से पूर्व शब्द "शीर्श" के स्थान पर "शीर्ष" कर दिया गया है।

धारा 31 (क) की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "प्रबन्ध" के पश्चात् "निदेाक" के स्थान पर "निदेशक" कर दिया गया है।

धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपविधियों के" के पश्चात् कोष्ठक तथा दूसरी पंक्ति से कोषक को हटा दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अध्याय 6 में" के पश्चात् शब्द "व्यवस्था" जोड दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की तृतीय पंक्ति में शब्द "और" के पश्चात् शब्द "ब्याज" जोड दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की पंचम् पंक्ति में शब्द "समिति" के पश्चात् शब्द "की" जोड़ दिया गया है।

धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के तृतीय पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "कृत्य" के पश्चात् शब्द "हो" के स्थान पर "को" कर दिया गया है।

धारा 35 (क) की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पोषण" के स्थान पर "पोषक" कर दिया गया है तथा शब्द "पर" के पश्चात् "भी लागू होंगे।" जोड़ दिया गया है एवं "आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "सात प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।" को हटा दिया गया है।

धारा 38 की उपधारा (1) की सप्तम् पंक्ति में शब्द "ऊपरान्त" के स्थान पर "उपरान्त" शब्द "साम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" तथा शब्द "की" के स्थान पर "को" कर दिया गया है। उक्त धारा की ही पंक्ति अष्टम् में शब्द "सकती" के स्थान पर "सकता" तथा शब्द "जो" के स्थान पर "जिसे" कर दिया गया है।

धारा 39 के खण्ड (घ) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "द्वारा" के पश्चात् शब्द "क्रय" जोड़ दिया गया है।

धारा 43 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा 43 (घ) की उपधारा (1) की पंचम् पंक्ति में शब्द "विशिष्टियाँ" के स्थान पर शब्द "प्रविष्टियाँ" कर दिया गया है।

उत्तरांचल विधान सभा पुस्तकालय पु० नं० 1522 देहरादून

धारा 55 के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "मंलधन" के स्थान पर शब्द "मूलधन" कर दिया गया है।

धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) की प्रथम पंक्ति में "1860" के स्थान पर "1890" तथा शब्द "पूर्त" के स्थान पर शब्द "पूर्व" कर दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में "प्रयोग में" के पश्चात् शब्द "नहीं" जोड़ दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में "ऋण या अदत्त" के पश्चात् "माँग का" जोड़ दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया गया है:–

यदि कोई सहकारी समिति राज्य सरकार की सहमति से कोई पेंशन योजना अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है तो भविष्य निधि में समिति के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

जहाँ भी कहीं इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी वह योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं होगी। यदि कोई पेंशन योजना इस आशय के साथ लागू की जाती है कि अंशदायी भविष्य निधि से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी समिति के अंशदान को नहीं लेंगे तथा वापस कर देंगे यदि वे उक्त पेंशन योजना अपनाना चाहते हैं।

धारा 70 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में "ऋण या माँग के सम्बन्ध में हों" के पश्चात् शब्द "जो उसे" जोड़ दिया गया है।

धारा 71 की अन्तिम पंक्ति में शब्द "समिति" के स्थान पर शब्द "प्रकरण" कर दिया गया है।

धारा 71–ख की प्रथम पंक्ति में "इण्डियन लिमिटेशन एक्ट" के पश्चात् (,) जोड़ दिया गया है तथा "35" के स्थान पर "34" और "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा 73 की द्वितीय पंक्ति में "तो वह इस प्रयोजन के लिए" के पश्चात् "किसी व्यक्ति" के स्थान पर "सहकारिता विभाग के किसी सरकारी सेवक" जोड़ दिया गया है।

धारा 73 की उपधारा 4 की प्रथम पंक्ति में "यदि सहकारी समिति के" के बाद "समापक" के स्थान पर "समापन" कर दिया गया है।

धारा 74 की उपधारा 2 के खण्ड (ग) की प्रथम पंक्ति में "तीन" के स्थान पर "तीस" कर दिया गया है।

धारा 74 की उपधारा 2 के खण्ड ङ की प्रथम पंक्ति में "पारम्परिक" के स्थान पर "पारस्परिक" कर दिया गया है।

धारा 74 की उपधारा 5 की तृतीय पंक्ति में "कोरम" के स्थान पर "कारण" कर दिया गया है।

धारा 79 की उपधारा 1 के तृतीय प्रतिबन्ध की द्वितीय पंक्ति में "को" के स्थान पर "का" कर दिया गया है तथा तृतीय पंक्ति में "जिसे" के स्थान पर "हित" और "2" के स्थान पर "82" कर दिया गया है।

धारा 79 की उपधारा 2 की तृतीय पंक्ति में "Disposition" के स्थान पर "Disposal" कर दिया गया है।

धारा 82 की उपधारा 1 कि द्वितीय प्रतिबन्ध की पाँचवी पंक्ति में "(Transfer of Property Act, 1882)" के स्थान पर "(एक्ट संख्या 4, वर्ष 1882)" कर दिया गया है।

धारा 83 की चतुर्थ पंक्ति में "मकानों" के स्थान पर "मानो" कर दिया गया है।

धारा 86 की तृतीय पंक्ति में "धारित किसी भूमि को" के बाद "बिना" जोड़ दिया गया है। तथा चतुर्थ पंक्ति में "धारा 79 की उपधारा" के पश्चात् "(1)" जोड़ दिया गया है।

धारा 88 की उपधारा 2 के खण्ड (क) की द्वितीय पंक्ति में "(Disposition)" के स्थान पर "(Disposal)" कर दिया गया है।

धारा 88 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में "2" के स्थान पर "82" कर दिया गया है।

धारा 88 की उपधारा 2 के खण्ड (छ) की प्रथम पंक्ति में "सहकारी कृषि समिति के" के पश्चात् "कार्य" के स्थान पर "फार्म" कर दिया गया है।

धारा 90 की द्वितीय पंक्ति में "1961", के पश्चात् "(एक्ट संख्या 47, वर्ष 1961)" जोड़ दिया गया है।

धारा 93 की पांचवी पंक्ति में "एक्ट संख्या 36", के बाद "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा 94 की प्रथम पंक्ति में "यदि निबन्धक" के बाद "या" के स्थान पर "को" कर दिया गया है।

धारा 95–क की उपधारा 2 की द्वितीय पंक्ति में "निश्चायक" के स्थान पर "निश्चयात्मक" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा (1) में निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया गया है तथा "उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है" को हटा दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया गया है:-

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इनकार कर दिया गया हो अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो।"

धारा 98 की उपधारा (1) के "खण्ड (ख)" के स्थान पर "खण्ड (ग)" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 1 के खण्ड "(ड)" की प्रथम पंक्ति में "125" के स्थान पर "16 (क)" तथा द्वितीय पंक्ति में "दिया गया हो" के पश्चात् ";" हटाकर "या 16 (ख) के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो" जोड़ दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 1 के खण्ड "(ढ)" की प्रथम पंक्ति में "128" के स्थान पर "126" तथा द्वितीय पंक्ति में "आदेश" के पश्चात् "या धारा 126 के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निदेश दिया गया हो" के स्थान पर "संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से अपील की जा सकती है" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 2 में खण्ड "(ख)" के पश्चात् खण्ड "(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के संबंध में विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को;" जोड़ दिया गया है।

धारा 99–क की द्वितीय पंक्ति में "और उसका परीक्षण" के पश्चात् "पारित" शब्द हटा दिया गया है।

धारा 99–ख के शीर्षक में "अपीलीय" के पश्चात् शब्द "अधिकारों" के स्थान पर "अधिकारी" कर दिया गया है।

धारा 99–ग की उपधारा 1 की द्वितीय पंक्ति में "अधिकारों का प्रयोग" के पश्चात् शब्द "नहीं" हटा दिया गया है।

धारा 103 की उपधारा 1 के खण्ड "(द)" की द्वितीय पंक्ति में "अधीन अपेक्षित" के पश्चात् शब्द "अंशदायी" हटा दिया गया है।

धारा 103 की उपधारा 2 के खण्ड "(क)" की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (1) के खण्ड" के पश्चात् "1" के स्थान पर "अ", "4" के स्थान पर "द", "5" के स्थान पर "य", "7" के स्थान "ल" तथा "8" के स्थान पर "व" कर दिया गया है।

धारा 103 की उपधारा 2 के खण्ड ख की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द "से" के स्थान पर "के" कर दिया गया है तथा "खण्ड (2)" के स्थान पर "खण्ड (ब)", "खण्ड (3) के स्थान पर "खण्ड (स)" तथा "खण्ड (6)" के स्थान पर "खण्ड (र)" कर दिया गया है।

धारा 107 की उपधारा 2 के खण्ड ख की द्वितीय पंक्ति में "प्राप्तियों और" के पश्चात् शब्द "साथ" के स्थान पर "साख पत्रों" कर दिया गया है।

धारा 113–क की चतुर्थ पंक्ति में "राज्य" के पश्चात् शब्द "सरकार" जोड़ दिया गया है।

धारा 114 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिकारों" के स्थान पर "अधिकारी" कर दिया गया है।

धारा 115 की तृतीय पंक्ति में "परिसमापक" के पश्चात् शब्द "मध्यस्थ," जोड़ दिया गया है।

धारा 117 के शीर्षक में शब्द "संगटनों" के स्थान पर "संगठनों" कर दिया गया है तथा प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(1)" व द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(2)" जोड़ दिया गया है तथा प्रथम पैरा की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में व द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "संगटन" के स्थान पर "संगठन" और प्रथम पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "संगटनों" के स्थान पर "संगठनों" कर दिया गया है।

धारा 122–क की उपधारा 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द "स्थायी" के स्थान पर "अस्थायी" कर दिया गया है।

धारा 123 की उपधारा 1 की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "सहायता" के स्थान पर "अनुदान" कर दिया गया है।

धारा 128 की उपधारा 2 के खण्ड 1 की द्वितीय पंक्ति में "(1)" के स्थान पर "(2)" कर दिया गया है।

धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड 11 के पश्चात् खण्ड "11(अ) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामित करना," जोड़ दिया गया है।

धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड 19 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अंशदायी" हटा दिया गया है।

धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड 39 में शब्द "बैंक" से पूर्व शब्द "केन्द्रीय" जोड़ दिया गया है।

धारा 131 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "राज्य" के पश्चात् शब्द "विधान" जोड़ दिया गया है।

धारा 132 की उपधारा 1 की प्रथम पंक्ति में उत्तर के पश्चात् शब्द "प्रदेश" को संशोधित कर दिया गया है तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "निश्प्रभावी" के स्थान पर "निष्प्रभावी" कर दिया गया है तथा "किया जाता है" के पश्चात् "पूर्ण विराम" को हटा दिया गया है। और "तथा उत्तर प्रदेश जनरल क्लोजेज एक्ट, 1904 (यू0पी0 एक्ट संख्या 1, वर्ष 1904) की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के निरसन पर प्रवृत्त होंगे।" जोड़ दिया गया है।

धारा 133 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति से शब्द "ग्राम्य विकास" को हटा दिया गया है।

धारा 138 की उपधारा 1 की पंचम् पंक्ति में शब्द "प्रतिभूमि" के स्थान पर "प्रतिभूति" कर दिया गया है।

धारा 140 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(1)" जोड़ दिया गया है तथा प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया गया है:-

"(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाएं, उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।"

धारा 141 के प्रथम पैरा के प्रारम्भ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "इस अधिनियम में किसी बात" कर दिया गया है तथा शब्द "बैंक" के पश्चात् "कॉमा (,)" जोड़ दिया गया है तथा शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "अथवा" जोड़ दिया गया है एवं शब्द "केन्द्रीय" के स्थान पर "केन्द्र" कर दिया गया है। द्वितीय पंक्ति में शब्द "या" के स्थान पर "तथा" कर दिया गया है।

धारा 147 के शीर्षक में शब्द "आधार" के पश्चात् शब्द "पर" जोड़ दिया गया है।

धारा 148 की उपधारा (4) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "प्रापक" के पश्चात् शब्द "के" जोड़ दिया गया है।

धारा 151 की उपधारा (1) की ग्यारहवीं पंक्ति में शब्द "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" कर दिया गया है तथा शब्द "राजिस्ट्रार" के स्थान पर "रजिस्ट्रार" कर दिया गया है।

धारा 151 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में तथा पंचम् पंक्ति एवं षष्टम् पंक्ति में शब्द "त्रूटि" के स्थान पर "त्रुटि" कर दिया गया है।

धारा 151 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "त्रूटि" स्थान पर "त्रुटि" कर दिया गया है।

धारा 152 के प्रथम पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "पदाधिकारी" के स्थान पर "पदधारी" तथा पंचम् में शब्द "उसका प्रतया" के स्थान पर "उसकी प्रतियाँ" कर दिया गया है तथा शब्द "जा" के स्थान पर "जो" कर दिया गया है।

धारा 154 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रारम्भ में शब्द "कृषि" के स्थान पर "किसी" कर दिया गया है।

धारा 155 की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अधीन के" को हटा दिया गया है।

धारा 158 की उपधारा (1) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "को" के स्थान पर "का" कर दिया गया है।

धारा 159 के प्रथम पैरा के प्रारम्भ में शब्द "न्यायधारी" के स्थान पर "न्यासधारी" कर दिया गया है तथा शब्द "अभिग्रहण" के पश्चात् शब्द "न" के स्थान पर शब्द "व" कर दिया गया है।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 22 विधान सभा/252-01-10-2003-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)

उत्तरांचल विधान सभा पुस्तकालय क्र० नं० 1522 देहरादून